रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24, 1971 (श्रावण 2, 1893)

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24, 1971 (SRAVANA 2, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये है :

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 8th February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	659
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1033
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	69
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	813
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2589
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3561
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	535
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	927
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	265
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	93
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	1851
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	139
पूरक संख्या 29—	
10 जुलाई 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1195
19 जून 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	1163

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	659
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1033
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	69
PART I—SECTION 4.—Notification regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	813
PART II—SECTION 1.—Arts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2589
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3561
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	535
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	927
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	265
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	93
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1851
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	139
SUPPLEMENT NO. 29	
Weekly Epidemiological Reports for weeks ending 10th July 1971	1195
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 19th June 1971	116

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministriesof the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई, 1971

सं० 34-प्रेज/71—राष्ट्रपति मैसूर पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गुरुलिंगप्पा सोमालिंगप्पा हित्तंगी,

पुलिस उप-निरीक्षक,
मैसूर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिसम्बर 1969 में श्री गुरुलिंगप्पा सोमालिंगप्पा हित्तंगी बेलगांव के मार्किट थाने में नियुक्त थे। 16 दिसम्बर 1969 को संध्या के कोई 4 बजकर 45 मिनट पर श्री हित्तंगी को टेलीफोन पर सूचना मिली कि एक बड़ी भारी भीड़ एक आदमी को बुरी तरह पीट रही है क्योंकि उन्हें शक है कि वह बच्चों का अपहरण करता है। पुलिस थाने में जो थोड़े-बहुत कर्मचारी उपस्थित थे उन्हें साथ लेकर श्री हित्तंगी तुरन्त घटनास्थल को चल दिए। वहाँ पहुँच कर श्री हित्तंगी ने देखा कि लगभग 500 लोगों की भीड़ की चड़दार खेत में उस व्यक्ति पर चप्पलों, पत्थरों तथा लाठियों से प्रहार कर रही है। भीड़ को चीर कर अपनी जान को जोखिम में डाल कर बड़ी मुश्किल से श्री हित्तंगी ने उस आहत व्यक्ति को उठाया और मुख्य सड़क पर ले आए। फिर उसे एक ट्रक पर चढ़ाकर ड्राइवर से कहा कि उसे सिविल अस्पताल ले जाए। परन्तु अनियन्त्रित भीड़ द्वारा पत्थरों की बौछार के कारण ड्राइवर भाग गया। उसके बाद भीड़ में से एक व्यक्ति ट्रक पर चढ़ गया और कोई एक फर्लांग तक ट्रक को ले भागा और उस आहत व्यक्ति को एक दूसरी भीड़ को सौंप दिया जिन्होंने उसे ट्रक से उतार कर फिर उस पर प्रहार शुरू कर दिए। श्री हित्तंगी उस स्थान पर फिर जा पहुँचे जहाँ उस घायल व्यक्ति पर भारी भीड़ प्रहार किए जा रही थी और उसे फिर उनसे बचा लिया। इस तरह श्री हित्तंगी ने अपनी जान को खतरे में डालकर एक बेकसूर व्यक्ति को क्रोधोन्मत्त भीड़ से बचा लिया और साहस, दृढ़ता, धैर्य तथा अनुकरणीय कर्तव्य परायणता का पूरा परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृति भत्ता भी 16 दिसम्बर 1969 से दिया जायेगा।

सं० 35-प्रेज/71—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पीताम्बर दत्त द्विवेदी,

कांस्टेबल सं० 77 सी० पी०,

जिला चमोली,

उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

चमोली जिले के उत्तरी क्षेत्र में 19/20 जुलाई, 1970 की रात्रि में भारी वर्षा हुई जिससे अलखनन्दा तथा इसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ गई। लगभग 4 बजे अपराह्न अलखनन्दा का पानी चिन्ताजनक वेग से बढ़ने लगा। बेलाकुची यातायात चौकी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों ने नदी के बढ़ते हुए खतरे से सभी लोगों को सावधान किया तथा उनसे मकानों को खाली कर देने का आग्रह किया। उन्होंने बसों के सभी यात्रियों को, जो मार्ग बन्द होने के कारण रुकी हुई थीं, तुरन्त बस छोड़ कर सुरक्षा के लिए ऊँची जगह पर जाने को कहा। श्री पीताम्बर दत्त द्विवेदी ने लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने में मदद की। श्री द्विवेदी जब एक वृद्ध को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के पश्चात् वापस आ रहे थे और अपने परिवार को बचाने के लिए, जो निकट ही एक टिन शैड में रहता था, जा रहे थे तो उन्होंने राजस्थान के एक ग्रामीण को ऐसे स्थान में फंसे हुए देखा जिसके इर्द-गिर्द उमड़ी हुई अलखनन्दा की तेज धारा पहुँच रही थी। ग्रामीण ने अपने को बचाने का अथक प्रयास किया परन्तु वह बार-बार अधिक गहरे पानी में ही फिसलता जा रहा था। घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों में से कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं बढ़ा। जब श्री द्विवेदी ने ग्रामीण को ऐसी स्थिति में देखा तो वह अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व की परवाह न करते हुए हुए उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़े। श्री द्विवेदी ग्रामीण तक पहुँचे और उसे पकड़ लिया परन्तु पांव जमाने के लिए कोई स्थान नहीं था ताकि वे सुरक्षित स्थान तक पहुँच सकें। तब वे अपने पूरे प्रयास से अपने पांव टिकाने में सफल हो गये और फिर वह ग्रामीण को थोड़ा-थोड़ा खींचते हुए ले आए और अर्द्ध चेतनावस्था में उसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। ग्रामीण को बचाने के पश्चात् श्री द्विवेदी तुरन्त टिन शेड की ओर दौड़े जहां उनका परिवार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। शेड के अन्दर कमरों में पानी पहुँच चुका था और शेड गिरना शुरू हो गया था। फिर वे अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले आए। दूसरे दिन प्रातः बेलाकुची गांव

बांध से बिलकुल नष्ट हो गया था। इस कार्य में श्री पीताम्बर द्विवेदी ने अपने जीवन को खतरे में डाल कर और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की परवाह न करते हुए असाधारण बचाव कार्य किया और एक ग्रामीण के जीवन की रक्षा की।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृति भत्ता भी 20 जुलाई 1970 से दिया जाएगा।

सं० 36-प्रेज/71—राष्ट्रपति तमिल नाडु पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री कुल्ला पंडित्तन पोन्नुस्वामी,

पुलिस कांस्टेबल सं0 1546,

जिला उत्तर अरकाट

तमिल नाडु। (स्वर्गीय)

श्री महादेव मुदालियर गणेशन,

हेड कांस्टेबल सं० 112,

जिला उत्तर अरकाट,

तमिल नाडु

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5 अक्तूबर, 1970 को श्री कुल्ला पण्डित्तन पोन्नुस्वामी ने एक खतरनाक अपराधी अन्नामलई को कोई 6 बजकर 45 मिनट सायं पुलिस थाने के समीप देखा। पुलिस उप-निरीक्षक ने भी अपराधी को देखा और हेड कांस्टेबल महादेव मुदालियर गणेशन और कांस्टेबल पोन्नुस्वामी को अपराधी को पकड़ने का निदेश दिया। पुलिस के साथ सामना हो जाने से विस्मित होने पर अपराधी ने भागने का प्रयत्न किया। श्री गणेशन और श्री पोन्नुस्वामी दोनों ने अपराधी का पीछा किया। जैसे ही श्री गणेशन अपराधी के समीप पहुँचा, उसने अपराधी को पकड़ लिया परन्तु अपराधी ने तुरन्त चाकू निकाला और हेड कांस्टेबल गणेशन के पेट में बांई ओर भोंक दिया। श्री पोन्नुस्वामी तुरन्त उसकी सहायता के लिए गया और अपराधी के हाथ में चाकू की परवाह न करते हुए अपराधी से भिड़ गया। अपराधी ने चाकू से श्री पोन्नुस्वामी पर आक्रमण किया और उसके पेट में दाईं ओर बुरी तरह से उसे भोंक दिया। इस प्रकार अपराधी ने श्री पोन्नुस्वामी को गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसके परिणाम-स्वरूप उसकी आंतें बाहर निकल आईं और अगले दिन प्रातः उसकी मृत्यु हो गई। सशस्त्र अपराधी के साथ मुठभेड़ में श्री पोन्नुस्वामी ने विशिष्ट साहस, वीरता तथा कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

श्री गणेशन ने अपराधी को पकड़ने में बड़े साहस एवं उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृति भत्ता भी दिनांक 5 अक्तूबर 1970 से दिया जावेगा।

सं० 37-प्रेज/71—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री हरी सिंह,

कांस्टेबल सं० 593,

जिला छतरपुर

मध्य प्रदेश।

श्री मोहम्मद इशाक

कांस्टेबल (ड्राइवर) सं० 84

जिला छतरपुर

मध्य प्रदेश

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1 जुलाई, 1970 को पुलिस का एक दल जिला छतरपुर में कुछ नये थाने और चौकियां खोलने के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने के लिए भेजा गया। जब पुलिस दल बिजावर-किसनगढ़ मार्ग पर बिजावर थाने से लगभग 13 मील दूर एक स्थान पर पहुँचा तो मूरत सिंह और मौनी राम सहाई डाकुओं के गिरोह ने, जो आधुनिक और स्वचालित हथियारों से लैस थे, पुलिस दल पर निशाना साध कर गोली चला दी।

एक पुलिस कांस्टेबल और एक सहायक पुलिस इंस्पैक्टर को, जो मोटरगाड़ी के पीछे की सीटों पर बैठे थे, घातक चोटें आईं। डाकुओं द्वारा चलाई गई एक गोली मोटरगाड़ी के कार्ब्यूरेटर पर लगी और गाड़ी रुक गई। श्री मोहम्मद इशाक ने फौरन गाड़ी की विन्ड स्क्रीन से नीचे झुककर अपना बचाव किया। श्री हरीसिंह ने गाड़ी के पिछली ओर से नीचे उतरने की कोशिश की परन्तु उनकी दोनों जांघों में गोली लगीं। श्री मोहम्मद इशाक ने बड़े साहस के साथ और गोलियों की बौछार का सामना करते हुए श्री हरीसिंह को गाड़ी से नीचे उतारा। तत्पश्चात् उसने गाड़ी से दो राइफलें निकालीं और फिर श्री हरीसिंह और मोहम्मद इशाक दोनों ने डाकुओं का डट कर मुकाबला किया जो अन्ततः निःसाहस होकर भाग गए। इस मुठभेड़ में श्री हरीसिंह ने अपने घावों की परवाह न करते हुए हथियार-बन्द डाकुओं का बड़ी वीरता से मुकाबला किया। श्री मोहम्मद इशाक ने भी डाकुओं के गिरोह का मुकाबला करने में बड़े साहस और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 जुलाई 1970 से दिया जाएगा।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई, 1971

सं० 9/5/71 के०से० (II)—दिसम्बर 1971 में सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च

श्रेणी ग्रेड के लिए प्रवरण सूची में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा लेने के लिए नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं ।

2. प्रवरण-सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या स्कूल द्वारा जारी किये गये नोटिस में बता दी जायेगी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में आरक्षण सरकार के निश्चय के अनुसार किये जायेंगे ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है बम्बई पुनर्गठन अधिनिमय, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (जम्मू व काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 के साथ पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) 1956 में उल्लिखित कोई भी जाति या आदिम जाति ।

3. सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जायगा ।

किस तारीख को किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जायगी, इस का निर्धारण स्कूल करेगा ।

4. (1) निम्नलिखित वर्गों के व्यक्ति, जो निम्नलिखित पैरा (2) में निर्धारित सेवावधि और आयु के संबंध में शर्तें पूरी करते हों आवेदन पत्र देने के पात्र होंगे :—

(I) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के स्थायी अवर श्रेणी लिपिक,

(II) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में नियमित रूप से नियुक्त किए गए अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक,

(III) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक ,

(IV) संवर्ग-बाह्य पदों पर नियुक्त अथवा अन्य सेवा में "स्थानान्तरण" पर नियुक्त परन्तु जिसका केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में पुनर्ग्रहणाधिकार हो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक ।

(2) सेवावधि और आयु—उपर्युक्त वर्गों के व्यक्तियों की—

(क) सेवा 1-7-1971 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में अथवा किसी समान ग्रेड में पांच वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा से कम न हो ।

(ख) आयु 1-7-1971 को 30 वर्ष से अधिक न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जुलाई, 1941 से पहले न हुआ हो ।

टिप्पणी I:—स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उपरोक्त (क) तथा (ख) में वर्णित कहीं और की गई हो ।

टिप्पणी II:—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी निम्न श्रेणी लिपिक, जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तनकाल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा ।

टिप्पणी III:—"समान ग्रेड" का अर्थ किसी भी ग्रेड से है जिसके निम्नतम और अधिकतम वेतन मान 1 जुलाई, 1959 के पूर्व क्रमशः 55 रु० और 130 रु० से कम नहीं थे और 1 जुलाई, 1959 को अथवा बाद में क्रमशः 110 रु० और 180 रु० से कम नहीं है ।

टिप्पणी IV:—"नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक" का अर्थ उस लिपिक से है जो विकेन्द्रीकरण (1962) के समय किसी संवर्ग में आवंटित था अथवा उसके बाद निर्धारित क्रिया विधि के अनुसार अवर श्रेणी ग्रेड में दीर्घकालीन आधार पर नियुक्त हो ।

(ग) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिक के मामले में जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो और वहां से प्रत्यावर्तित हो गया हो, सशस्त्र सेना में अपनी सेवा (प्रशिक्षण अवधि समेत, यदि कोई हो) की अवधि तक की छूट दी जायगी ।

(घ) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और अधिक छूट दी जायगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी 1964 या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी 1964 या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 को भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निमुक्त रक्षा-सेवा-कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक, और

(xii) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निमुक्त रक्षा-सेवा-कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हो, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जायगी।

(3) **टाइपकारी परीक्षा** : यदि किसी उम्मीदवार को निम्न श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल की टाइपकारी की परीक्षा उत्तीर्ण करने में छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाइपकारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए।

(4) ऐसे किसी उम्मीदवार को इस परीक्षा में तीन बार से अधिक भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायगी जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो, पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी न हो, या गोवा, दमन व दीव के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी न हो या केन्या, उगांडा और तंजानिया संयुक्त गणतंत्र (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित न हुआ हो। यह प्रतिबन्ध 1969 में हुई परीक्षा से लागू है।

टिप्पणी: (1) यदि कोई उम्मीदवार वस्तुतः परीक्षा के किसी एक या अधिक विषयों में भाग लेगा तो उसे परीक्षा में भाग लिया हुआ समझा जाएगा।

टिप्पणी : (2) ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसंवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति हों, उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जायगा। तथा यह बात उन निम्न श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो "स्थानान्तरित" रूप में निःसंवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किये गए हों और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण-अधिकारी (नियत) न रखते हों।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में स्कूल का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायगा जब तक उसके पास स्कूल का प्रवेशपत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

7. यदि कोई उम्मीदवार स्कूल द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाए या कर दिया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण-पत्र आदि

प्रस्तुत किये हैं या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें हेराफेरी की गई है या गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम में लाने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई अनुचित आचरण किया है तो उस पर अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही :—

(क) उम्मीदवारों के चुनाव के लिए स्कूल उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए, अपने द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या साक्षात्कार (इन्टरव्यू) में शामिल होने से रोक सकता है।

(ख) उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो स्कूल द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जाएगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जायगा।

9. उम्मीदवारों को स्कूल की विज्ञप्ति के अनुलग्नक-I में निर्धारित शुल्क (फी) देना होगा।

10. स्कूल परीक्षा के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवरसूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो स्कूल के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गये हों।

परन्तु शर्त है कि यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सकें, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनकी रैंक का ध्यान किए बिना, यदि वे स्वस्थ हुए, तो स्कूल द्वारा सिफारिश किए जा सकेंगे।

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग एक्जेमिनेशन)। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जायें, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर-सूची में शामिल किया ही जाय।

11. हर एक उम्मीदवार की परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाय, इसका निर्णय स्कूल अपने विवेकानुसार करेगा और स्कूल परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया करेगा।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने मात्र से ही चुनाव का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चुनाव के लिए हर प्रकार से पात्र और उपयुक्त है।

13. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में "स्थानान्तरण" द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि, यह उस निम्न श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्त किया जा चुका हो।

पी० एल० गुप्ता, उप-सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग-I नीचे परिच्छेद-2 में बताए गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग -II स्कूल द्वारा अपने विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवा-वृत्तों (रेकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जिनके बारे में वह फैसला करेगा, और इसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे।

2. भाग-1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए नियत अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा :—

विषय	अधिकतम अंक		दिया गया समय
(I) निबन्ध तथा सार लेखन			
(क) निबन्ध	50	100	2 घंटे
(ख) सार लेखन	50		
(II) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति	100		2 घंटे
(III) सामान्य ज्ञान	100		2 घंटे

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण संलग्न अनुसूची में दिये अनुसार होगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न-पत्र अर्थात् (i) निबन्ध तथा सारलेखन,

अथवा (ii) टिप्पणी लेखन मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति अथवा (iii) सामान्य ज्ञान, में से किसी एक प्रश्न-पत्र का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है।

टिप्पणी 1:—यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिए।

टिप्पणी 2:—जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्नपत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते हैं, उन्हें यह बात आवेदन पत्र के खाना 6 में स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिए अन्यथा यह समझा जायगा कि वे प्रश्नों पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी 3:—उम्मीदवारों को बाद में अपने विकल्प बदलने की अनुमति नहीं दी जायगी।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायगी।

6. स्कूल अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालीफाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है।

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिये जायेंगे।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जायेंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात पर विशेष ध्यान रखा जायगा कि भावाभि-व्यक्ति कम से कम शब्दों, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य-विवरण

(1) **निबन्ध तथा सार लेखन**

(क) निबन्ध विहित कई विषयों में से एक पर निबन्ध लिखना होगा।

(ख) **सार लेखन**:—सक्षम/सार लिखने के लिए सामान्यतः अनुच्छेद किये जायेंगे।

(2) **टिप्पण व आलेखन तथा कार्यालय पद्धति**:—इस प्रश्न-पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है। उम्मीदवारो को चाहिए कि इसके लिए कार्यालय पद्धति की नियम-पुस्तक "(मैन्वल आफ आफिस प्रोसीजर") तथा रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट विजीनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा" पढ़े।

(3) **सामान्य ज्ञान**:—सामान्य-ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उद्देश्य भारतीय भूगोल तथा देश का प्रशासन, और सामयिक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के सम्बन्ध में उम्मीदवारों का ज्ञान जांचना होगा।

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई, 1971

नियम

सं० 32/13/71-स्थापना (ङ)—1 नवम्बर, 1962 के बाद आपात कालीन कमीशन प्राप्त अफसरों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों के लिए निम्नलिखित सेवाओं के ग्रेड- IV में आरक्षित रिक्तियाँ भरने के प्रयोजन के लिए, 1972 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

(i) भारतीय आर्थिक सेवा, और

(ii) भारतीय सांख्यिकीय सेवा।

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग द्वारा निकाली गई संख्या में किया जायेगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा निश्चित संख्या के अनुसार किया जायेगा।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है। संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियाँ) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित आदिम जातियाँ) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951 जैसा कि बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियाँ (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित है। संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1956 संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जातियों आदेश, 1959। संविधान (दादर व नागर हवेली) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1962 संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति, आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियाँ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967। संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1968, संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जातियाँ आदेश, 1968 और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट-2 में निहित रीति से लेगा।

4. परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा नियत किये जायेंगे।

4. जो आपात कालीन कमीशन प्राप्त अफसर/अल्प कालीन सेवा कमीशन प्राप्त अफसर 1 नवम्बर, 1962 के बाद सशस्त्र सेना में नियुक्त हुए थे और जो इस अधिसूचना की तारीख से पहले सन् 1971 में नियुक्त हो चुके हैं, या जो इसके बाद और सन् 1972 के अन्त तक निर्मुक्त होने हैं, वे सब इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार

इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यह व्यवस्था की जाती है, कि 1 नवम्बर, 1962 के बाद सेना में आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी/अल्प कालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी जो 1971 से पहले सेवा से निर्मुक्त हुए हों, नियम 8 के उपबन्धों के अनुसार इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

नोट-1 : इन नियमों के प्रयोजन के हेतु "निर्मुक्त" का अर्थ है :—

(I) निर्मुक्त होने के वर्ष के अनुसार निर्मुक्त।

(II) सैनिक सेवा द्वारा उत्पन्न विकलांगता के कारण विकलांगता की घोषणा, सेवा की अवधि के पश्चात् निर्मुक्त, न कि प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्त होने पर, या वास्तविक सेवा में लिए जाने से पूर्व ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को नियमित करने के लिए दिए गए अल्प-कालीन सेवा कमीशन के दौरान या उसकी समाप्ति पर नियुक्त, और कदाचार, अदक्षता या अपने अनुरोध पर निर्मुक्त अफसरों के मामले इसके अधीन नहीं आयेंगे।

नोट-2 : "निर्मुक्त होने का वर्ष" अभिव्यक्ति का अर्थ है :—

(i) जहाँ तक आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों से इसका संबंध है, उसके लिए वर्ष जिसमें रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें निर्मुक्त होना है, और

(ii) जहाँ तक अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों का संबंध है, उनके लिए वह वर्ष माना जाएगा जिसमें अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में उनके 3 या 5 वर्ष (जैसी भी स्थिति हो) के सामान्य सेवा काल की समाप्ति होनी है।

नोट-3 : यदि किसी व्यक्ति को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सशस्त्र सेना में स्थायी कमीशन मिल जाता है, अथवा वह सशस्त्र सेना से इस्तीफा दे देता है या वह उससे कदाचार या अदक्षता या अपने निजी अनुरोध के कारण निर्मुक्त कर दिया जाता है तो व्यक्ति की पात्रता रद्द हो सकेगी।

नोट-4 : जो इंजीनियर तथा डाक्टर केन्द्रीय सरकार में या राज्य सरकारों में या सरकार के स्वामित्व में चलने वाले औद्योगिक उद्यमों में कार्य करते हैं और जिनको अनिवार्य दायता योजना के अन्तर्गत सशस्त्र सेना में कम से कम निर्धारित अवधि के लिए सेवा करनी पड़ती है और जिनको संगत नियमों के अंतर्गत इस प्रकार की सेवा की अवधि अल्प कालीन सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है, वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

नोट-5 : जो अफसर सशस्त्र सेना के स्वयं सेवक आरक्षी सेवा (वालंटियर रिजर्व फोर्सेज) से संबद्ध होंगे और जो अस्थायी सेवा के लिए नियुक्त किए गए होंगे, वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे

5. उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायीरूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से ऐसा भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका, और पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य टैंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) देशों से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में उस सम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ, अनन्तिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

6(क). उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 26 वर्ष से अधिक उस वर्ष की 1 जनवरी, को न हो जिसमें वह सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो, या (जहाँ केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण हो) उसने कमीशन प्राप्त किया हो।

6(ख). ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु में निम्नलिखित स्थितियों में और छूट दी जा सकती है :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष,

(2) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 का या उसके बाद भारत में आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(4) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 से भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(6) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दियू के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(7) यदि उम्मीदवार कीनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य टैंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका तथा जंजीबार) से आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(8) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष, और

(9) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(10) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए, तथा

(11) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए और अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित आदिम जातियों के हैं।

(12) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा 1963 में कमीशन प्राप्त किया हो (जहाँ केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण था) और पाकिस्तान के वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो उसके लिए अधिकतम तीन वर्ष तक,

(13) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा 1963 में कमीशन प्राप्त किया हो (जहाँ केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण था) और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो, तो उसके लिए अधिकतम आठ वर्ष तक,

(14) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा 1963, 1964 या उसने 1965 में कमीशन प्राप्त किया हो और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निवासी हो तो उसके लिए अधिकतम चार वर्ष तक, और

(15) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा उसने 1963, 1964 और 1965 में कमीशन प्राप्त किया हो और वह भारतीय नागरिक और लंका से प्रत्यावर्तित हो तो उसके लिए अधिकतम तीन वर्ष तक,

(16) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और उसने किसी स्तर पर फ्रेंच भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो, तो अधिकतम तीन वर्ष तक,

उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

7. किसी उम्मीदवार को दो से अधिक बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह शर्त 1971 *में हुई परीक्षा से लागू होगी।*

नोट : यदि उम्मीदवार किसी एक या अधिक विषयों में प्रतियोगिता परीक्षा में बैठता है तो उसे प्रतियोगी समझा जाएगा।

8. इन नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी उम्मीदवार को सेवा से निर्मुक्त होने के वर्ष में हुई परीक्षा में और उससे अगले वर्ष में हुई परीक्षा में क्रमशः पहले और दूसरे अवसर के रूप में बैठना चाहिए।

यह व्यवस्था की जाती है कि—

(I) 1971 से पहले सेवा से निर्मुक्त उम्मीदवार 1972 में होने वाली परीक्षा में अपने दूसरे अवसर के रूप में बैठ सकता है, और

(II) 1971 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने की तारीख समाप्त होने के बाद सन् 1971 में सैनिक सेवा के कारण हुए विकलांग उम्मीदवार 1972 में होने वाली परीक्षा में अपने पहले अवसर के रूप में बैठ सकते हैं।

टिप्पणी : इस नियम के परन्तुक (ii) में की गई व्यवस्था उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी, जो (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में) प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम के अनुसार या (अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में) 3 या 5 वर्ष की सेवा अवधि की समाप्ति पर जैसी भी स्थिति हो सन् 1971 में निर्मुक्त होने वाले हों।

9. (क) भारतीय आर्थिक सेवा के उम्मीदवारों के पास परिशिष्ट 1 में उल्लिखित विश्वविद्यालयों में से किसी से प्राप्त अर्थशास्त्र या सांख्यिकी के विषयों के साथ स्नातकीय उपाधि होनी चाहिए।

(ख) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के उम्मीदवारों के पास परिशिष्ट 1 में उल्लिखित विश्वविद्यालयों से किसी में से प्राप्त सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में से किसी एक विषय के साथ स्नातकीय उपाधि होनी चाहिए, या परिशिष्ट-1-क में उल्लिखित कोई योग्यता होनी चाहिए।

नोट-1 : यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हता परीक्षा (क्वालीफाइंग एग्जामीनेशन) में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह अर्हता परीक्षा इस परीक्षा के आरंभ होने से पहले समाप्त हो जाए। ऐसे उम्मीदवार को, यदि वह अन्य शर्तें पूरी करता हो, तो इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वह अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के प्रारंभ होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करता, तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

नोट-2 : विशेष परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षाएँ पास की हों जिनके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे।

नोट-3 : यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो परिशिष्ट-1 में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग का आवेदन

कर सकता है और आयोग यदि उचित समझे तो, उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

10. सशस्त्र सेना में सेवा करने वाले उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन पत्र अपनी यूनिट के कमान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो इसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजेगा। यदि उम्मीदवार स्वयं ही अपनी यूनिट का कमान अधिकारी है तो उसे आवेदन पत्र अपने अगले उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए।

सब अन्य सरकारी सेवा के उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश के लिए विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति अवश्य लेनी होगी।

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

13. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

14. जो उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति के प्रमाणपत्र या जाली झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे या तथ्यों को छिपाए या और कोई अनियमित साधन अपनाये, या परीक्षा कक्ष में अनुचित साधन या दुर्व्यवहार अपनाये, उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के अतिरिक्त :—

(क) उसे स्थायी रूप से या निश्चित अवधि के लिए :—

(i) आयोग द्वारा किसी परीक्षा में बैठने का चयन के लिए मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है, और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है,

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार के अधीन सेवा में हो तो संबंधित नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

15. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा न्यूनतम अर्हता अंक (Qualifying Marks) प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे, तो उसे आयोग मौखिक परीक्षा (Viva Voce) केलिए बुलाएगा।

16. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों के आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा, उनकी इन रिक्तियों पर नियुक्ति करने के लिए सिफारिश की जाएगी। यह भर्ती आरक्षित रूप में न होकर इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर होगी।

यह व्यवस्था की जाती है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियां सामान्य स्तर के आधार पर नहीं भरी जा सकी तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति आरक्षित कोटा में हुई कमी को पूरा करने के लिए परीक्षा में प्राप्त योग्यता क्रम को ध्यान में रखे रहना उन उम्मीदवारों की सेवा में नियुक्ति के लिये पात्रता के आधार पर आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकती है।

17. (क) यदि परीक्षा के परिणाम पर, योग्य उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या नियुक्त आपात कमीशन प्राप्त अफसरों / अल्प कालीन सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए प्राप्त नहीं है तो बिना भरे हुए रिक्त स्थानों का सरकार द्वारा इस विषय में निर्धारित ढंग से भरा जाएगा।

(ख) यदि योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या नियुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त आधिकारियों / अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक हो तो जो उम्मीदवार नियुक्त न हों उनके नाम आगे के वर्ष (वर्षों) में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे में नियुक्ति के लिए तैयार की गई प्रत्याशी सूची (सूचियों) में रखा जाएगा।

18. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

19. दोनों सेवाओं के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के मामले में उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन देते समय अभिव्यक्त की गई तरजीह पर अपेक्षित ध्यान दिया जायगा।

20. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जबतक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इसमें नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

21. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ्य होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलता पूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शरीरिक परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की शरीरिक परीक्षा करवाई जा सकती है।

नोट:—बाद में निराश न होना पड़े इस लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवाले। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों को किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और इसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्योरे इन नियमों के परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं।

रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जायगी।

22. ऐसा कोई पुरुष / स्त्री:

(क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह करने का करार किया हो अथवा विवाह कर लिया हो जिसका पति/पत्नि जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नि /पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करने का करार किया हो अथवा विवाह कर लिया हो ।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / होगी । परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर अथवा जिस से विवाह किया गया हो उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण है तो ऐसे व्यक्ति को इस कानून से छूट दे सकती है ।

23. इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं के लिए भरती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्योरा परिशिष्ट III में दिया गया है ।

के० वी० महालिङ्गम्, अवर सचिव

परिशिष्ट - 1

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(नियम 9 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान के मंडल अधिनियम से नियमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद के अधिनियम से स्थापित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय भाग लिए जाने की घोषणा हो चुकी है ।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय

मांडले विश्वविद्यालय

इंग्लैंड और वैल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डर्हम , लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मेंचस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शैफील्ड और वैल्स के विश्वविद्यालय ।

स्काटलैंड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनवरा, ग्वास्गो और सैंट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय ।

आयर लैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)

नैशनल यूनिवर्सिटी आफ आयरलैंड

क्वीन्स यूनिवर्सिटी, वेलफास्ट ।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय

सिंध विश्वविद्यालय

राजशाही विश्वविद्यालय

नेपाल के विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू ।

परिशिष्ट 1 - क

केवल भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए स्वीकृत योग्यताओं की सूची (नियम 9 ख के आनुसार)

(i) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता कास्टेटिस्टीशियन डिप्लोमा,

(ii) कृषि अनुसंधान , सांख्यिकीय संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्राप्त प्रोफैशनल एटेटिस्टीशियस सर्टीफिकेट ।

परिशिष्ट-II

खण्ड 1

परीक्षा की रूप रेखा :—

प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(क) अधिकतम 700 अंकों की, निम्नलिखित खण्ड दो में निर्दिष्ट उपखण्ड (क) तथा (ख) में दिखाये गये विषयों में लिखित परीक्षा ।

(ख) जो उम्मीदवार आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाये जायें, उनके लिए अधिकतम 450 अंकों की मौखिक परीक्षा, जिसमें से 50 अंक सशस्त्र सेना में की गई सेवा की सेवापूंजी के मूल्यांकन के लिए होंगे ।

खण्ड 2

परिक्षा के विषय

भारतीय आर्थिक सेवा		अधिकतम अंक
1	सामान्य अंग्रेजी	150
2	सामान्य ज्ञान	150
3	अर्थशास्त्र 1	200
4	अर्थशास्त्र 2	200
(ख) सांख्यिकीय सेवा		
1	सामान्य अंग्रेजी	150
2	सामान्य ज्ञान	150
3	सांख्यिकीय 1	200
4	सांख्यिकीय 2	200

इस विषय में निम्नलिखित पांच शाखाओं में से प्रत्येक के अलग पत्र होंगे, जिनमें से उम्मीदवार को केवल दो चुनने होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र के 100 अंक होंगे ।

1	औद्योगिक सांख्यिकीय (सांख्यिकीय गुण नियंत्रण सहित)
2	आर्थिक सांख्यिकीय
3	शैक्षणिक सांख्यिकीय
4	जैनेटीकल सांख्यिकीय
5	डैमोग्राफी और जन शक्ति सांख्यिकीय

नोट:— इस खंड में उल्लिखित विषयों का स्तर और पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग क में दिया गया है ।

खण्ड 3

1. सभी प्रश्नों के पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे ।

2. सांख्यिकीय-2 को छोड़कर उपयुक्त खण्ड 2 में दिये गये प्रत्येक विषय प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे का समय दिया जायेगा सांख्यिकीय-2 में इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग (क) की मद (आइटम) 6 पर इस विषय के नीचे दिये नोट के अनुसार डेढ़-डेढ़ घंटे के पांच प्रश्न पत्र होंगे ।

3. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा । उन्हें किसी भी हालत में उसकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालीफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है ।

5. भारतीय आर्थिक सेवा के लिए केवल उन्हीं उम्मीदवारों के निम्नलिखित विषयों अर्थात सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों को जांचा और अंकित किया जायेगा जो लिखित परीक्षा के अर्थशास्त्र-1 और अर्थशास्त्र-2 विषयों में एक निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जायेगा ।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिए केवल उन्हीं उम्मीदवारों के निम्नलिखित विषयों, अर्थात सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों को जांचा और अंकित किया जायेगा जो लिखित परीक्षा के सांख्यिकीय-1 और सांख्यिकीय-2 विषयों में एक निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जायेगा ।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल नम्बरों में से कुछ काट लिये जायेंगे ।

7. अनावश्यक ज्ञान के लिए नम्बर नहीं दिये जायेंगे ।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग और ठीक-ठीक की गई हो ।

9. उम्मीदवारों से तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली की जानकारी की आशा की जाती है । प्रश्नों के उत्तर जहां कहीं ऐसा आवश्यक हो, तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाये ।

अनुसूची

(भाग - क)

अंग्रेजी भाषा तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का स्तर वही होगा जिसकी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है ।

अन्य विषयों के प्रश्न पत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के सम्बद्ध व्यवस्थाओं के अन्तर्गत "मास्टर" डिग्री परीक्षा स्तर के होंगे । उम्मीदवारों से तथ्यों द्वारा सिद्धान्त की व्याख्या करने और सिद्धान्तों द्वारा समस्याओं का विश्लेषण करने की अपेक्षा की जाएगी उनसे अर्थशास्त्र I सांख्यिकीय के क्षेत्र (क्षेत्रों) में भारतीय समस्याओं से संबंधित विशेष रूप से निपुणता की अपेक्षा की जाएगी ।

सामान्य अंग्रेजी

उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा में एक निबंध लिखना होगा । अन्य प्रश्न उम्मीदवारों को अंग्रेजी संबंधी योग्यता एवं अंग्रेजी शब्दों के सामान्य प्रयोग की जांच करने के लिए रखे जायेंगे । साधारणतया सारांश अथवा सारलेख के लिए गद्यांश रखे जायेंगे ।

2 **सामान्य ज्ञान**

इस प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे :—

पहले भाग में उम्मीदवार से ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जिन में सामयिक घटनाओं का और दिन प्रतिदिन देखी और अनुभव की जाने वाली बातों के वैज्ञानिक पक्ष का ऐसा ज्ञान सम्मिलित है जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन न किया हो । इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए ।

दूसरे भाग में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके द्वारा उम्मीदवारों की तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करने तथा उनसे तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने जटिलताओं का प्रत्यक्ष ज्ञान लेने की योग्यता एवं महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण के बीच अंतर करने की योग्यता की जांच की जा सके ।

3 **अर्थशास्त्र**

क्षेत्र तथा विधियां

साम्य विश्लेषण

उपभोक्ता का मांग का सिद्धांत/तटस्थतावक्र रेखाओं का विश्लेषण अधिमान संबंधी विचारधाराएं/उपभोक्ता की बचत/ उत्पत्ति सिद्धांत/उत्पत्ति के कारक/उत्पत्ति फलन/उत्पत्ति के नियम/फर्म तथा उद्योग के अन्तर्गत साम्य ।

विभिन्न प्रकार के बाजार संगठनों के मूल्य निर्धारण/समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण/मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल निर्धारण ।

लोकोपयोगी सेवाएं:—लोकोपयोगिताओं की आर्थिक विशेषताएं, लोकोपयोगिताओं में मूल्य निर्धारण, लोकोपयोगिताओं का नियमन ।

वितरण का सिद्धान्त/उत्पत्ति कारकों का मूल्य निर्धारण लगान, मजदूर, ब्याज तथा लाभ के सिद्धांत/समष्टि वितरण सिद्धांत/ राष्ट्रीय आय में मजदूरी का भाग/लाभ और आर्थिक प्राप्ति/आय वितरण में असमानताएं ।

रोजगार और उत्पादन का सिद्धान्त:—क्लासिकल तथा नवक्लासिकल विचार धाराएं/कीन्स का रोजगार सिद्धांत/कीन्स का बाद के सिद्धांत आर्थिक उतार-चढ़ाव । व्यापार चक्रों के सिद्धांत/ व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय तथा मौद्रिक नीतियां ।

कल्याणकारी अर्थशास्त्र :— कल्याणकारी अर्थशास्त्र का क्षेत्र, क्लासिकल तथा नान क्लासिकल विचारधाराएं नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र तथा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत अनुकूलपन दिशाएं नीति संबंधी बाधाएं ।

4. **अर्थशास्त्र II**

आर्थिक विकास की संकल्पना तथा उसका माप दण्ड ।

सामाजिक लेखे : राष्ट्रीय आय के लेखे । निधिप्रवाह का लेखा, विनिष्ट निपज का लेखा ।

सामाजिक विचार धाराएं तथा आर्थिक विकास । विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं तथा समस्याएं ।

जनसंख्या की वृद्धि तथा आर्थिक विकास ।

आर्थिक विकास के सिद्धांत । विकास के प्रतिमान ।

आयोजन - संकल्पना तथा विधियां । समाजवादी तथा पूंजीवादी आर्थिक संगठन के आयोजन । मिश्रित अर्थव्यवस्था में आयोजन । ढोस आयोजन । क्षेत्रीय आयोजन । विनियोग के सिद्धांत तथा पद्धतियों का चयन लागत लाभ विश्लेषण योजना माडल ।

भारत में आयोजन आयोजन का प्रारंभ । पंचवर्षी योजनाएं उद्देश्य तथा पद्धतियां/स्थापनों की गतिशीलता, प्रशासन तथा जनसहयोग/मौद्रिक और वित्तीय नीतियों का योगदान, मुख्य नीति, नियंत्रण तथा बाजार विन्यास । व्यापार नीति तथा भुगतान संतुलन/सार्वजनिक उद्यमों का योगदान ।

5 **सांख्यिकी**

विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय सन्निकटन परिमित अंतर प्रमान-अंतर्वेशन-सूत्र तथा परिशुद्धताएं, प्रतिलोभ अदर्वेशन/अवकलन और समाकलन की सांख्यिकीय विधियां ।

समांविता की परिभाषा-क्लासिकल मत, स्वयं सिद्ध मत । प्रतिचयन अवकाश । पूर्ण एंव निश्चित समांविता का सिद्धांत । प्रतिबंधी संभाविता । स्वतंत्र घटनाएं । बार्ड का सूत्र यादृच्छिक चर, संभाविता बंटन गणितीय प्रत्याशा । पूर्ण जनक फलन तथा लक्षण फलन प्रतिलोम प्रमेय टेबीकेंज की असमता/प्रतिबंधित बंटन बृहत संख्याओं के नियम तथा केन्द्रीय सीमिति प्रमेय ।

प्रमाप बंटन : द्विपद प्वासों, प्रसामान्य आयताकार, पार्श्वीय विलोम द्विपद अतिगुणोत्तर कोणी लाफलाश बीटा तथा गामा बंन । द्विचर तथा बहुचर प्रसामान्य बंटन ।

बृहत और सूक्ष्म प्रतिचयन सिद्धांत:— अंनत स्पर्शीय प्रतिचयन बंटन तथा बृहत प्रतिचयन परीक्षण/प्रमाथ प्रतिचयन बंटन जैसे टी, एक्स 2, एफ तथा उन पर आधारित सार्थकता परीक्षण/साहचर्य तथा आसंग सारिणियों का विश्लेषण ।

सह सवंन्य गुणांक तथा उसका बंटन, फिशर का 'जेड' रूपान्तरण गुणांक ।

समाश्रयण: आसंजन रेखा बहुपद, अनैकया संमाश्रयण तथा अनैकया सह-सबंध गुणांक निरकरणीय मामलों में उनका बंटन/अंतवर्गीय सह संबंध/वर्के आसंजन तथा लम्ब कोणीय बहुपद ।

प्रसरण विश्लेषण । एक घातीय प्रावकलन का सिद्धांत अन्तःक्रिया प्रभाग सहित दिक् वर्गीकरण । सहप्रकरण विश्लेषण/प्रयोग अभिकल्पना के मूल सिद्धांत । सामान्य अभिकल्पनाओं का अभिन्यास तथा विश्लेषण जैसे या यादृच्छिकृत खण्ड तथा लेटिन वर्ग चित । बहु उपादीनीय प्रयोग तथा संकरण लुप्त क्षेत्र संख्य विधि ।

प्रतिचयन विधियां: प्रतिस्थापन युक्त तथा प्रतिस्थानपन रहित सरल यादृच्छ प्रतिचयन । समाभयण तथा अनुपात प्रावक्लन सामूहित प्रतिचयन बहुक्रम प्रतिचयन तथा व्यवस्थित प्रतिचयन/अप्रतिचयन त्रुटियां ।

प्रावक्कल : मूल संकल्पनाएं । एक अच्छे प्रावक्कलन की विशेषताएं बिन्दु प्रावक्कलन तथा अंतराल प्रावक्कलन । अधिकतम संभाविता प्रावकन तथा उनके गुण धर्म ।

परिकल्पनाओं के परीक्षण । सांख्यिकीय परिकल्पनाएं :— सरल तथा संयुक्त परिकल्पना । सांख्यिकीय परीक्षण की संकल्पना । त्रुटियों के दो प्रकार । धात फलन । संभावित अनुपात परीक्षण । विश्वास अंतराल प्रावक्कलन । अनुकूलतम विश्वास परिबंध ।

असमष्टीय परीक्षण जैसे—संकेत परीक्षण, माध्यिका परीक्षण तथा चाल परीक्षण । सरकल विकल्पना के विपरीत सरल परिकल्पना परीक्षण के लिए बाल्डका अनुक्रमिक संभाविक्ता अनुपात परीक्षण 'औसो', तथा ए० एस० एल० फलन तथा उनके सन्निकटन ।

6 **सांख्यिकी II**

नोट - इस विषय में निम्नलिखित पांच शाखाओं में से प्रत्येक पर भिन्न-भिन्न प्रश्न पत्र होंगे, अर्थात (i) आद्योगिक सांख्यिकी (सांख्यिकीय गुण नियंत्रण सहित) (ii) आर्थिक सांख्यिकी (iii) शैक्षिक सांख्यिकी (iv) जनन सांख्यिकी तथा (v) जन्मविधा और जन्म मरण सांख्यिकी ।

उम्मीदवारों को उपर्युक्त किन्हीं दो का चुनाव करना होगा, जिसकी उन्हें अपने प्रार्थना पत्र में बताना होगा । एक बार प्रश्न पत्र चुनने के बाद परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।

(i) **सांख्यिकीय प्रकार नियंत्रण सहित औद्योगिक आंकड़ें**—

उद्योग के अंतर्गत प्रकार नियंत्रण का सैद्धांतिक आधार । सहन-सीमाएं । विभिन्न प्रकार के नियंत्रण चार्ट "एक्स" "आर" चार्ट "पी०" और "सी०" चार्ट, वर्ग नियंत्रण चार्ट ।

सकार प्रतिचयन । एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, तथा अनुक्रमिक प्रतिचयन योजना । "बी० सी०" तथा "ए० एस० एन०" फलत गुणों (Attributes) तथा चरों (variables) द्वारा प्रतिचयन । डौजेरोपिग तथा अन्य सारणियां विधियां का प्रयोग तथा प्रसरण विधियों का विश्लेषण ।

उद्योग में एकयातीय कार्यक्रम सहित सांख्यिकीय अनुसंधान विधियों का प्रयोग ।

(ii) **अर्थ-सांख्यिकीय**

मूल्य और परिणाम के सूचकांक, सूचकांकों के विभिन्नप्रकार, जैसे:— थोक मूल्यों के सूचकांक तथा जीवन निर्वाह से सूचकांक/सूचकांकों का सिद्धांत ।

आय-वितरण । पेरेटो वक्र तथा अन्य वक्र । एक केन्द्रीय वक्र तथा उसके लाभ ।

राष्ट्रीय आय । राष्ट्रीय आय के विभिन्न क्षेत्र । राष्ट्रीय आय के प्रावकलन की विधियां । अर्थक्षेत्रीय आगम । क्षेत्रीय आय

प्रवकलन वर्ग समस्याएं। अन्तंउद्योग सारिणी। निविष्ट-निष्ट विश्लेषण तथा एकजातीय कार्यक्रम का प्रयोग।

आर्थिक काल-श्रेणियों का विश्लेषण तथा निर्वचन। आर्थिक काल श्रेणियों के चार संघटका गुणात्मक तथा संयोज्यात्मक गाडल। वक्र आसंजन तथा चल माध्यबिधि उपनिति निर्धारण। स्थित तथा चल सामयिक सूचकांकों का निर्धारण। स्वसहसंबंध। आवर्तिता वर्क विश्लेषण। यदृच्छिका का परीक्षण।

उपयोग और मांग का सिद्धांत, मांग के कार्य, मांग की लोच, काल श्रेणी तथा पारिवारिक बजट आंकड़ों द्वारा मांग का सांख्यिकीय विश्लेषण।

(III) शैक्षिक आंकड़ें मनोमिति साहत:—

परीक्षण मदों का मापन। विशेष, प्रमाप विशंक, सामान्य बिशंक "टी०" तथा "सी०" माप, स्टेनीन मान, शततमक माप।

मानसिक परीक्षण, परीक्षणों की विश्वसनीयता और सुसंगीत। विश्वसनीयता की संगणना की विभिन्न विधियां। विश्वसनीयता का सूचक। सुसंगति निर्धारण की प्रक्रियाएं। परीक्षण बैटरी के श्रेयता। बाल बनाम बात परीक्षण।

उपादना विश्लेषण। गद विश्लेषण। अभिरूचि परीक्षणों में सह-संबंध विधियों का उपयोग।

स्मरण तथा विस्मरण का माप, स्मरण, गाडल अभिवृत्ति तथा मत का माप। समूह व्यवहार के साथ।

(IV) जनन आंकड़ें :

आनुवंशिकता का भौतिक आधार। मेन्डल के नियम। लिंकेज पृथककरण का विश्लेषण। लिंकेज की पहचान तथा प्रावकलन।

बहुजनन आनुवंशिकी। दृश्यरूप विचलन के संघटक। अनुवंशिकता का प्रावकलन, चयन का आधार। प्रजनन परीक्षण। चरित्र समक्षण के लिए चयन।

जनसंख्याजनन। जनन बारम्बारता। अत: प्रजनन यादृच्छिक उमागम। लिंकेज का विसाम्य।

मावन जनन के तत्व। रक्त वर्गों का अध्ययन। रोग विशेषताएं तथा विधन।

(V) **जननांकिकी तथा जन्म मरण संबंधी आंकड़ें :**

जीवन सारिणी, उसका निमार्ण तथा गुण। मेकेहम तथा गोमपर्त्व वक्र मृत्यु संख्या की वार्षिक तथा केन्द्रीय दरों का व्युत्पत्ति राष्ट्रीय जीवन सारिणीयां, यू० एन० आदर्श जीवन सारणीयां। संक्षिप्त जीवन सारणीयां। स्थिर जन संख्या। स्थावर जन संख्या।

अशोधित प्रजनम दरें विशिष्ट प्रजनन दरें, कुल और शुद्ध जन्म दरें, परिवार का आकार अशोधित मृत्यु दरें, बाल मृत्यु दरें। सकारण मृत्यु संख्या, प्रमाणीकृत दरें।

आंतरिक तथा अन्तराष्ट्रीय प्रत्यावर्तन विशुद्ध प्रत्यावर्तन, दिल्ली तथा उन्नत अतिजीवता अनुपात सिद्धांत।

जनांकिकीय संक्रमण जनसंख्या निर्धारण के सामाजिक तथा आर्थिक निर्धारण।

जनसंख्या प्रक्षेप। गणितीय तथा संघटक विधियां वृद्धिपात वक्र आसंजन।

भाग-ख

मौखिक परीक्षा :—उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा एक बोर्ड द्वारा ली जाएगी जिसके समक्ष सशस्त्र सेना में उम्मीदवारों की सेवा अवधि सहित उनकी सेवा अवधि का रिकार्ड होगा। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य सक्षम और निष्पक्ष परीक्षकों के एक बोर्ड द्वारा उस सेवा अथवा सेवाओं के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता जांचना है जिसके लिए उसने आवेदन पत्र दिया हो। साक्षात्कार का उद्देश्य उम्मीदवार की सामान्य और विशिष्ट योग्यता और क्षमता की जांच करने के लिए लिखित परीक्षा के अनुपूरक रूप में है। उम्मीदवारों से सामान्य रूचि के मामलों और सशस्त्र सेना में उनके अनुभव से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। मौखिक परीक्षा की तकनीक नितांत रूप से सीधे सवाल जवाब की नहीं है अपितु स्वाभाविक रूप से एक सौद्देश्य वार्तालाप की है जिसका उद्देश्य समस्याओं के समझने में उम्मीदवार की क्षमता और बौद्धिक उत्सुकता तथ्य ग्रहण करने में उसकी क्षमता विचार सन्तुलन, सूझबूझ सामाजिक स्थितियों को समझने की योग्यता, सचरित्रता और नेतृत्व जैसे गुणों का पता लगाया जा सके।

परिशिष्ट-3

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उनका संक्षिप्त ब्यौरा :—

1. जो उम्मीदवार दोनों में से किसी भी सेवा के लिए सफल होंगे, उनकी नियुक्ति उस सेवा के ग्रेड-1 में परख पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी और इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। सफल उम्मीदवारों की परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णयानुसार निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अनुदेश तथा परीक्षा पर पास करनी होगी।

2. यदि सरकार की राय में किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल न होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

3. परख अवधि या उसकी बढ़ाई हुई अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है।

4. यदि सरकार की राय में उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप से अपनी परख अवधि समाप्त कर ली है, और यदि वह स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए तो उसे स्थायी पदों में मौलिक रिक्तियां उपलब्ध होने पर पक्का कर दिया जाएगा।

5. भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के निर्धारित वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड-1 निदेशक (डाइरैक्टर) रु० 1300-60-1600-100-1800

ग्रेड-2 संयुक्त निदेशक (ज्वाइंट डाइरैक्टर) रु० 1100-50-1400

ग्रेड-3 उप निदेशक (डिप्टी डाइरैक्टर) रु० 700-40-1100-50/2-1250

ग्रेड-4 सहायक निदेशक (असिस्टेंट डाइरैक्टर) रु० 400-400-450-30-600-35-670-कु०ए०-35-950।

6 सेवा के उच्च पदों में पदोन्नति, प्रत्येक ग्रेड में पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार उम्मीदवारों की प्रवरणता को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर की जाएगी। यह कोटा ग्रेड-3 के लिए 75 प्रतिशत ग्रेड-2 के लिए 50 प्रतिशत और ग्रेड-1 के लिए 75 प्रतिशत है।

भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय/सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भारत में कहीं भी या भारत के बाहर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, अथवा इनको निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

7 दोनों सेवाओं के अधिकारियों की छुट्टी पेंशन और सेवा की शर्तें उसी प्रकार होंगी जो भारत सरकार के मूल नियम (फंडामेंटल रूल्स) और सिविल सेवा विनियम (सिविल सर्विस रैगूलेशन) में दी गई है और जिनमें सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन हो सकता है।

8 समय-समय पर संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम (जनरल प्रावीडेंट फंड-सेंट्रल सर्विसेज रूल्स) के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

परिशिष्ट-4

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए दिए जा रहे हैं ताकि वे इस बात का पता लगा सकें कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य अपेक्षित स्तर का है या नहीं। ये विनियम मैडिकल परीक्षाओं के मार्ग दर्शन के लिए भी हैं और जो उम्मीदवार इन विनियमों में नियुक्त की गई न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, उसको मैडिकल परीक्षक स्वस्थ घोषित नहीं कर सकते। किन्तु जब मैडिकल बोर्ड की यह राय हो कि उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित स्तर के अनुसार स्वस्थ नहीं है, तो भी मैडिकल बोर्ड की यह अनुमति है कि वह भारत सरकार को विशेषकर लिखे हुए कारणों से सिफारिश कर सकता है कि उसको सरकार को हानि बिना नौकरी में लिया जा सकता है।

परन्तु यह साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार अपने निर्णय से मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रखती है।

1 नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2 भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों के आयु कद और छाती के घेर से परस्पर सम्बन्ध के बारे में मैडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझें, व्यवहार में लाए, यदि वजन कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिये और छाती का एक्सरे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य घोषित करेगा।

3 उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जायेगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप दण्ड (स्टेंडर्ड) से इस प्रकार सटाकर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवा एड़ियों के, पावों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह इस प्रकार से सीधा खड़ा होगा कि उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितंब और कन्धे माप दण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बटेक्स आफ दि हेड लेवल) हारिजैंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सैंटीमीटरों और आधे सैंटीमीटरों में नापा जाएगा।

4 उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर उसका ऊपरी किनारा अंश झलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़ समतल (हारिजैंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और इन्हें शरीर के साथ ढीला लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं जिससे कि फीता न हिले। जब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सैंटिमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84-89, 86-92 आदि। नाप को रिकार्ड करते समय एक सैंटीमीटर से कम के भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

नोट :—अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व उम्मीदवार के कद और छाती दो बार नापी जानी चाहिए।

5 उम्मीदवार का वजन भी लिया जाएगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा। आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

6 (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(ख) चश्मे के बिना नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मैडिकल बोर्ड या अन्य मैडिकल प्राधिकारी द्वारा उसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फार्मेशन) मिल जाएगी।

(ग) चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर निम्नलिखित मानक निर्धारित किया जाता है :—

दूर की नजर अच्छी आंख/खराब आंख		नजदीक की नजर अच्छी आंख/खराब आंख	
(संशोधित दृष्टि)		(संशोधित दृष्टि)	
6/9	6/9 अथवा		
6/9	6/12	जे I	जे II

(ध) आयोगिता के प्रत्येक मामले में, फंडस परीक्षा की जानी चाहिए और उसका परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । व्यधिकृत दशा मौजूद होने पर जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की दक्षता पर प्रभाव डाल सकती है, उसे अयोग्य घोषित किया जाए ।

(ङ) दृष्टि क्षेत्र : सम्मुखन विधि (कन्फ्रंटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी, जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिभाषी (परामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।

(च) रतोंधी (नाइट लाइडनेस) साधारणतया रतोंधी दो प्रकार की होती है (1) विटामिन 'ए' की कमी होने के कारण और रोटीना के व्यावहारिक रोग के कारण रेटीनीटिस पिगमेंटोसा होता है । जिसका सामान्य कारण ऊपर बताई गई (1) की स्थिति में फंडस में प्रसामान्य होता है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देता है और अधिक मात्रा में विटामिन 'ए' के खाने से ठीक हो जाता है, ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस खराबी होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है । इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है । और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है । सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं ।

उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जाएगा । उपर्युक्त (2) के लिए विशेष तथा जब फंडस खराब नहीं तो इस्नेक्ट्रा— रेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है । इन दोनों जांचों में (अंधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी) में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और समान की आवश्यकता होती है और इसीलिए साधारण वैकल्पिक जांच के लिए तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतोंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर होगा कि पद से संबंध काम की आवश्यकता क्या है और जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी ।

दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्युलर कंडीशनस)

(i) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तन त्रुटि (प्राग्रेसिव रिफैरिक्टव एरर) को, जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए ।

(ii) भेंगापन (स्क्विन्ट) तकनीकी सेवाओं में जहां द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भेंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिये ।

(iii) एक आंख वाले व्यक्ति :— यदि किसी व्यक्ति की एक आंख हो अथवा एक आंख की दृष्टि सामान्य हो और दूसरी आंख की दृष्टि एम्बीलियोपिक अर्थात असामान्य हो तो आमतौर पर उसका प्रभाव यह होता है की गहराई को देखने के लिए स्टीरियो स्कोपिक दृष्टि उसकी कमजोर होती है, अनेक सिविल पदों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती, मैडिकल बोर्ड ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश कर सकती है यदि उसकी सामान्य आंख में :—

(1) ऐनक के साथ या ऐनक के बिना दूर की दृष्टि 6/6 और समीप की दृष्टि जे-1 हो, परन्तु शर्त यह है कि किसी भी मैरीडियन में लगलती दूर की दृष्टि के लिए 4 डायप्टीयर से अधिक न हो,

(2) उसकी दृष्टि का क्षेत्र पूरा हो ।

(3) रंगों की सामान्य पहचान हो, जहां भी इसकी आवश्यकता हो ।

परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड इस बात से सन्तुष्ट हो कि उम्मीदवार संबंधित पद के सभी कार्य करने में समर्थ हो ।

(ग) कौन्टैक्ट लैंस (Contact Lenses) उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कौन्टैक्ट लैंस के प्रयोग की आशा नहीं होगी आंख की जांच करते समय यह आवश्यक है कि दूर की नजर के लिए टाइप किए हुए अक्षर 15 पादवर्ती (फूट कैन्डला) से प्रकाशित हों ।

7. **ब्लड प्रैशर**

ब्लड प्रैशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा ।

नामले उच्चतम सिटालिक प्रैशर के आक्लन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है ।

(1) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों की औसत ब्लड प्रैशर लगभग 100 आयु होता है ।

(2) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रैशर के आक्लन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु सम्मिलित करें । यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

ध्यान दिजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से सिस्टासिक प्रैशर को और 90 के ऊपर के डायस्टालिक प्रशर को संदिग्ध समझ लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या आयोग्य होने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि वह उम्मीदवार को अस्पताल में रखे । अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट (एनसाइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रैशर थोड़े समय रहने वाला है या उसका कारण कोई कायिक (आंगीनिकी) बीमारी है । ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्सरे और विद्युत हुए लेखी (इलैक्ट्रो कार्डियोग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (लोयरेंस) की जांच भी नेमीरूप से की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने पर या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा ।

ब्लड प्रैशर (रक्त दबाव) लेने का तरीका

नियमत: भारेवाली वाक्मानी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दबाव नहीं लेना चाहिए रोगी बैठा हो या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ के भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या

दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए। ताकि हवा करने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रचंड धमनी (ब्रेक्किल आर्टरी) को दबा दबा कर ढूंढा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों बीच स्टथेस्कोप को हलके से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जायेगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हलकी दसी हुई सी लुप्त-प्रय हो जाय, वह सायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफल के लम्बे समय का दबाब रोगी के लिए क्षोभ कर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाय। (कभी कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस 'साइलेंटेग्रेप' से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किये गये मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड की किसी उम्मीदवार के मूत्र में रसायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबीटीज) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज़ मेह (ग्लाइकोसूरिता) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनैस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोस मेह अमधुमेही (नान-डायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिकल के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शूगर टालरैंस टैस्ट समेत जो भी निकले या लेबारेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' या 'अनफिट' की अन्तिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के प्रभार को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन अस्पताल में पूरी देखरेख में रखा जाय।

9. जो स्त्री उम्मीदवार जांचों के फलस्वरूप 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि की गर्भवती पाई जाए उसे तब तक के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए जब तक इसकी गर्भावस्था समाप्त न हो जाए। गर्भास्था के समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद यदि वह पंजीकृत चिकित्सक के स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे तो आरोग्य प्रमाण पत्र के लिए उसकी फिर से जांच की जाए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए :-

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई जिक्र है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया आपरेशन या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता है या नहीं।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दातों को ठीक समझा जायगा)

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसको दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रपूचर (हार्निया या फटन) है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसील बढ़ी हुई वेरिकोसील वेरिकोज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसकी शाखाओं हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और सभी संधियों भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती है या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा को बीमारी है या नहीं।

(ज) उसे कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. दिल और फेफड़ों को किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञान न हो सभी मामलों (केसेज) में नेमी रूप से छाती की पटेक्षण (सक्रीनिंग) की जानी चाहिए जहां आवश्यक समझा जाय एक छायाचित्र (स्कायग्राम) लिया जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिलेतो उसे प्रमाण पत्र में अवश्य ही नोट किया जाय मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

12. जहां तक मिली जुली प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों का संबंध है उनके लिए ऊपरि पैरा 11 के नीचे टिप्पणी में बताई गई अपील करने की कार्यविधि लागू नहीं होती। इस परीक्षा के उम्मीदवारों को अपील की शुल्क 50 रु० भारत सरकार के इस संबंध में निर्धारित ढंग से जमा करना होता है। यह फीस केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगी जो अपीलय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा आरोग्य घोषित किए जाएंगे। शेष दूसरों के मामलों में यह जब्त कर ली जायेगी। यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी

चाहिए अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और उसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा। दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिए कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा। अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबंध के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शक के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा का काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जायेगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य न हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना कि वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगीयों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाये कि यहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है। और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

बोर्ड में साधारणतया तीन सदस्य होंगे (1) एक चिकित्सक (2) एक शल्य चिकित्सक और (3) एक नेत्र चिकित्सक। ये सभी यथा सम्भव साध्य समान स्तर के होने चाहिए। महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी महिला चिकित्सक (लेडी डाक्टर) को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा।

भारतीय आर्थिक सेवा (इंडियन इकनोमिक सर्विस/भारतीय सांख्यिकीय सेवा (इंडियन स्टेटिस्टीकल सर्विस) में नियुक्ति किये गये उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। इस प्रकार के किसी उम्मीदवार के बारे में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार को क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है या नहीं

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जबकि कोई उम्मीदवार सरकार सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार किया जाता तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किये जाने के आधार पर उम्मीदवार को बताये जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाये तो एक दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित पदाधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया जाय तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उसकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिये अयोग्य है-ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डेक्लेयरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिये गये नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें—
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं—

2. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैंड आदिम जाति आदि से संबंधित हैं जिनका औसत कद दूसरों से छोटा होता है। 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए और यदि उत्तर हां में है तो उस जाति का नाम बताइये।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथिया (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी मूर्छा के दौरे एपेटिज्म, एपेडिसाइटिस हुआ है ?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ता हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. आपको चेचक आदि का अंतिम टीका कब लगा था ?

5. क्या आपको अधिक कार्य या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनैस) हुई है ?

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें :—

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाईयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु के कारण
1	2	3	4

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

.....

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइये किस सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? .....

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? .....

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ? .....

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो.....

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिये गये सभी जवाब सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर.....

मेरे सामने हस्ताक्षर किये.....

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर.....

नोट:—उपर्युक्त कथन का अर्थाथता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा । जान बूझकर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाय तो आर्धयम निवृत्ति भत्ता (सुपरएन्युएशन अलाएंस) या उपादान (ग्रेजुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ।

(ख) ..... की शारीरिक परीक्षा की ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

सामान्य विकास : अच्छा साधारण
निम्न

घोषणा :—पतला..... औसत.....
मोटा .....
कब (जूते उतार कर).....वजन.....
अत्युत्तम वजन .....कब था ?....
बजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन.....
तापमान .....
छाती का पैर—

(1) पूरा सांस खिचने पर.....
(2) पूरा सांस निकालने पर.....

2. त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी.....
3. नेत्र—

(1) कोई बीमारी.....
(2) रतोंधी .....
(3) कल विजन का दोष.....
(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन).....
(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी).....
(6) फंडस की जांच .....

दृष्टि की पकड़	चश्में के बिना	चश्में से	चश्में की पावर	
			गोल	सिलि० अक्ष
दूर की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			
पास की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			

4. कानः निरीक्षण.....सुनना:
5. दायां कान .....बायां कान .....
6. गंधियां ..... थहराइड .....
7. दांतों का हालत .....
8. एवसन तंत्र (रस्मिरेटरि सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पूरा ब्यौरा है ।
9. परिसंचय ग्रण (सक्युलेरटी सिस्टम)
(क) हृदय कोई आंगिक क्षति (आर्गानिक लोजन)
गति (रेट) :
खड़े होने पर :

25 बार कुदाए जाने के बाद.....
कुदाय जाने के 2 मिनट बाद.....

(ख) ब्लड प्रैशर.....सिस्टालिक.....
डायस्थालिक

9. उदर (पेट): घेर.....दाब वेदना (टेंडरनेस)
हार्निया.....

(क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर.....
तिल्ली..... गुर्दे.....
ट्यूमर.....

(ख) बवासीर के मस्से.....
फिस्टुला.....

10. तांत्रि तंत्र : (नर्वस सिस्टम) तांत्रिक या मानसिक अशक्तता का संकेत.....

11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)
कोई विलक्षणता.....

12. जनन मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरिनरी सिस्टम)
हाइड्रोसील, वैरिकोसील आदि का कोई संकेत
मूत्र परीक्षा

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ।

(ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)

(ग) इल्ब्यूमेन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट (सेल्स)

13. छाती का पटेशण (स्क्रीनिंग) एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट ।

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिसमें वह उस सेवा को दक्षता पूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है जिसके लिये यह उम्मीदवार है ?

15. (i) क्या वह भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा में दक्षता पूर्वक और निरंतर कार्य करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है ।

(ii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फिल्ड सर्विस) के लिए योग्य है ।

नोट :—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए ।

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट), जिसका कारण.....

(iii) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण.....

स्थान..... अध्यक्ष .....

तारीख..... सदस्य .....

सदस्य .....

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 1971

संकल्प

फा० सं० 14(9)-प्लांट (ए०)/66—पथिनी चाय संपदा को जिसे भारत सरकार द्वारा खरीद लिया गया है और जिसका प्रबंध उसकी ओर से मैसर्स आक्टेवियस स्टील एंड कं० लि०, कलकत्ता द्वारा किया जाना जारी है उचित ढंग से चलाना सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने चाय संपदा के प्रबंध तथा परिचालन से संबंधित सभी विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए, इस मंत्रालय के संकल्प सं० 14(9)-प्लांट (ए०)/66 दिनांक 10 दिसम्बर 1970 द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है ।

2. पुनर्गठित बोर्ड में निम्नांकित सदस्य होंगे :—

(1) श्री बी० आर० वोहरा, अध्यक्ष
अध्यक्ष, चाय बोर्ड ।

(2) श्री बी० के० दुबे, सदस्य
सदस्य, चाय बोर्ड ।

(3) श्री सी० वैंकटरमण,
निदेशक, वित्त मंत्रालय (एफ० टी० डिविजन) सदस्य

(4) श्री एन० एन० मल्हन, सदस्य
उपनिदेशक विदेश व्यापार मंत्रालय ।

(5) श्री जे० सी० क्रोफोर्ड,
निदेशक सदस्य-संयोजक
मैसर्स आक्टेवियस स्टील एंड कं० लि०,
कलकत्ता ।

3. प्रबंध अभिकर्ता, मैसर्स आक्टेवियस स्टील एंड कं० लि०, कलकत्ता, संपदा के प्रबंध से संबद्ध सभी नीति संबंधी विषय बोर्ड के समक्ष रखेंगे जो इस प्रकार के विषयों पर विचार-विमर्श करेगा तथा उन पर सरकार को सलाह देगा ।

4. इस बोर्ड का गठन 31 दिसम्बर 1971 तक की अवधि के लिए होगा तथा उसकी बैठकें सामान्यतः कलकत्ते में ही होंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० एन० दन्दोना, उप-सचिव

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1971

संकल्प

सं० 13-7/68-ए० पी० सी० (नीति)—स्वास्थ्य परिवार नियोजन और नगर विकास मंत्रालय के 1 जनवरी, 1969 के संकल्प संख्या 13-7/68-ए० पी० सी० (प्लाई) में गठित परिवार नियोजन स्वदेशी चिकित्सा पद्धति सलाहकार समिति के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाएगा :—

एक उपाध्यक्ष के स्थान पर दो उपाध्यक्ष होंगे नामतः स्वास्थ्य और परिवार नियोजन राज्यमंत्री और स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री ।

इस समिति का कार्यकाल 1-1-71 से दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ।

रवीन्द्र नाथ मधोक, संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 1971

संकल्प

विषय:—भूमि तथा विकास कार्यालय की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए गठित की गई दिल्ली भूमि-प्रबन्ध जांच समिति ।

सं० 25017/1/70-एल०-2—इस मंत्रालय के दिनांक 16/20 जनवरी, 1971 के संकल्प संख्या जी०-25017/1/70-एल०-2 के अधीन भूमि तथा विकास कार्यालय की कार्य प्रणाली की विस्तृत जांच के लिए एक तथ्य अन्वेषक समिति गठित की गई थी । समिति के अध्यक्ष श्री होमी जे० एच० तैलयारखान हैं और विधि मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा विधि-सलाहकार श्री एल० जे० मंजरेकर, वित्त मंत्रालय के उप-वित्त सलाहकार श्री आर० पी० कपूर और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक सेवा-निवृत अधिकारी श्री मनमोहन किशन इसके सदस्य हैं । अब यह निर्णय किया गया है कि उक्त समिति जिसका नाम अब "दिल्ली भूमि प्रबन्ध जांच समिति" है के दो और निम्नलिखित गैर-सरकारी व्यक्ति भी सदस्य होंगे :—

(1) श्री पी० एन० नारंग,
158, गौल्फ लिंक्स, नई दिल्ली ।

(2) श्री शौकत राय,
ई०-12, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए तथा सामान्य सूचना के लिए इसे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० सी० मैथ्यू, सचिव

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 1971

संकल्प

सं० 10/41/70-एम० 3—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 10/17/70-एम० 3, तारीख 4 दिसम्बर, 1970 के क्रम में इस मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या 10/31/68-एम० 3, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 में, जिसके द्वारा लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठित किया गया है, निम्नलिखित और संशोधन किया जायेगा, नामत:—

"उक्त संकल्प में पैरा 1 में नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य शीर्षक के अन्तर्गत क्रमांक 1 के सामने, वर्तमान, प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, नामत:—

1. श्री जफर सैफुल्लाह,
महाप्रबन्धक,
डोनीमाले आयरन ओर प्रोजेक्ट,
डाकघर सांदूर, जिला बैल्लारी (मैसूर राज्य)"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. आंध्र प्रदेश, मैसूर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और गोवा, दमन व दीव की सरकारें ।
2. खान और धातु विभाग, नई दिल्ली ।
3. बोर्ड के सभी सदस्य (सूची संलग्न है) ।
4. संबंधित नियोजक और श्रमिक संगठन ।
5. राष्ट्रीय खनिक विकास निगम लिमिटेड, डाक पेटी नं० 35421, नई दिल्ली-24 ।
6. श्री जफर सैफुल्लाह,
महाप्रबंधक,
डोनीमाली आयरन ओर प्रोजेक्ट,
डाकघर सांदूर, जिला बैल्लारी (मैसूर) ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

सी० आर० नायर, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th July 1971

No. 34-Pres/71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Mysore Police :—

Name and rank of the officer

Shri Gurulingappa Somalingappa Hittangi,

Sub-Inspector of Police,

Mysore.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

In December, 1969, Shri Gurulingappa Somalingappa Hittangi, was posted in the Market Police Station, Belgaum. On 16th December, 1969, Shri Hittangi received a telephonic message at about 4.45 P.M. that a man was being assaulted severely by a huge crowd on the suspicion that he was a childlifter. Shri Hittangi immediately rushed to the spot with a skeleton staff available in the Police Station. On reaching the place of incident, Shri Hittangi saw that a mob of about 500 strong was assaulting the suspected person with chappals, stones and sticks in a slushy field. Shri Hittangi pushed through the crowd and with great difficulty and at personal risk to his life, lifted the victim and brought him to the main road. He put the victim in a truck and asked the driver to take him to the Civil Hospital. But as a result of the pelting of stones by the unruly crowd the driver of the vehicle ran away. At this stage someone from the crowd got into the truck and drove it away for about a furlong and handed over the injured victim to another crowd who pulled down the injured person from the truck and started assaulting him again. Shri Hittangi again rushed to the place where the injured person was being assaulted by the crowd and rescued the injured person. Shri Hittangi thus saved the life of an innocent person from the furious mob by exposing himself to personal risk and exhibited courage, determination, patience and exemplary devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th December, 1969.

No. 35-Pres./71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Pitamber Dutt Divedi,

Constable No. 77 C.P.,

Chamoli District,

Uttar Pradesh.

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On the night of 19th/20th July, 1970, there was heavy rainfall in the northern region of district Chamoli causing floods in Alakhnanda river and its tributaries. At about 4 P.M., the water in Alakhnanda started rising alarmingly. The police staff posted at Belakuchi traffic post, warned all the members of the public of the danger from the rising river and insisted on the evacuation of the houses and also asked all the passengers of the motor vehicles which had been held up because of the road block to leave the vehicles immediately and climb up the hill for safety. Shri Pitamber Dutt Divedi helped public in evacuation. When Shri Divedi was coming back after helping, one of the aged persons in his evacuation and was going to the rescue of his family who were living in a tin-shed nearby, he saw a villager of Rajasthan trapped at a spot which was being fast surrounded by the swirling water of the river Alakhnanda. The villager tried his best to extricate himself but he always slipped towards deeper water. None of the persons present at the spot came to his rescue. When Shri Divedi saw the plight of the villager, he ran towards the villager in order to save him in disregard of his obligation to his own family. Shri Divedi reached the villager and got hold of him but there was no foothold to climb back to place of safety. He then stretched his every nerve and obtained a foot-hold and drew up the villager inch by inch and carried the half conscious villager, to a place of safety. After rescuing the villager, Shri Divedi rushed to the tin-shed where his family was waiting for him. Water had already entered the rooms of the shed and the shed had started crumbling. He then evacuated his family to a place of safety. Next morning village Belakuchi was completely wiped away in the floods. In this operation Shri Pitamber Dutt Divedi did outstanding rescue work unmindful of risk to his own life and in disregard of the life of his own family members he saved the life of a villager.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 20th July, 1970.

No. 36-Pres./71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Tamil Nadu Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Kulla Pandithan Ponnuswamy,

Police Constable 1546,

North Arcot District,

Tamil Nadu. *(Deceased)*

Shri Mahadeva Mudaliar Ganesan,

Head Constable 112,

North Arcot District,

Tamil Nadu.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 5th October, 1970, one Annamalai a dangerous criminal, was sighted by Shri Kulla Pandithan Ponnuswamy near the Police Station at about 6.45 p.m. The Sub-Inspector of Police who also noticed the criminal, directed Shri Mahadeva Mudaliar Ganesan, Head Constable and Shri Ponnuswamy, Constable to apprehend the criminal. The criminal who was taken aback by the confrontation with the Police tried to run away. Both Shri Ganesan and Shri Ponnuswamy went in pursuit of the criminal. As Shri Ganesan was nearer to the criminal, he caught hold of him but the criminal suddenly whipped up a knife and stabbed the Head Constable Ganesan on the left side of his abdomen. Shri Ponnuswamy rushed to his assistance and grappled with the criminal without caring for the knife which the criminal was holding. The criminal attacked Shri Ponnuswamy with the knife and stabbed him viciously on the right side of his abdomen and inflicted serious injuries on Shri Ponnuswamy as a result of which his intestines came out and he succumbed to his injuries on the next morning. In the encounter, Shri Ponnuswamy showed conspicuous courage, bravery and devotion to duty in grappling with the armed criminal.

Shri Mahadeva Mudaliar Ganesan showed great courage and exhibited conspicuous bravery in apprehending the criminal.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th October, 1970.

No. 37-Pres./71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Hari Singh,

Constable No. 593,

District Chhatarpur,

Madhya Pradesh.

Shri Mohomad Ishaq,

Constable (Driver) No. 84,

District Chhatarpur,

Madhya Pradesh.

Statement of services for which decoration has been awarded.

On 1st July, 1970, a Police party was deputed to collect data regarding the opening of new Police Stations and Out-posts in District Chhatarpur. When the police party reached a place about 13 miles from Police Station Bijawar on Bijawar-Kishangarh road, the dacoit gangs of Moorat Singh and Mauni Ram Sahai who were armed with modern and automatic weapons opened well directed fire on the Police party.

A Police Constable and an Assistant Sub-Inspector of Police who were seated at the back of the vehicle sustained fatal injuries. One of the shots fired by the dacoits hit the carburettor of the vehicle and the vehicle stopped. Shri Mohomad Ishaq ducked below the level of the wind-screen of the vehicle. Shri Hari Singh tried to get down on the back side of the vehicle but was hit by the bullets on both the thighs. Shri Mohomad Ihaq with great courage and by exposing himself to the showers of the bullets, brought Shri Hari Singh down the vehicle. He then collected two rifles from the vehicle and then both Shri Hari Singh and Mohomad Ishaq gave a strong fight to the dacoits who ultimately lost their nerve and fled away. In the encounter Shri Hari Singh displayed great valour in fighting the gang of armed dacoits in disregard of his injuries.

Shri Mohomad Ishaq also exhibited great courage and devotion to duty in fighting against the dacoit gang.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st July, 1970.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

CABINET SECRETARIAT

Department of Personnel

RULES

New Delhi, the 24th July 1971

No. 9/5/71-CS-II.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service to be held by the Secretariat Training School in December 1971 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the select list will be specified in the Notice issued by the School.

Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Secretariat Training School in the manner prescribed in the Appndix to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the School.

4(1) The following categories of persons, who satisfy the conditions in respect of length of service and age, specified in sub-para 2 below, are eligible to apply :—

(i) Permanent Lower Division Clerks of the Central Secretariat Clerical Service;

(ii) Regularly appointed temporary Lower Division Clerks to the Central Secretariat Clerical Service;

(iii) Permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerks belonging to the Central Secretariat Clerical Service on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority;

(iv) Permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerks belonging to the Central Secretariat Clerical Service appointed to ex-cadre posts or to another service on "transfer" but who continue to retain lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service;

(2) Length of Service and Age. The above categories of persons :

(a) Should have put in not less than five years approved and continuous service in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or in any equivalent grade as on 1-7-1971.

(b) He should not be more than 30 years of age on 1-7-1971 *i.e.* he must not have been born earlier than 2nd July 1941.

NOTE I.—The limit of five years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service and partly elsewhere in an equivalent grade.

NOTE II.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

NOTE III.—"Equivalent grade" means any grade the minimum and maximum of the scale of pay of which were not less than Rs. 55/- and Rs. 130/-, respectively, prior to the 1st July, 1959, and are not less than Rs. 110/- and 180/-, respectively on or after the 1st July, 1959.

NOTE IV.—"Regularly appointed Lower Division Clerk" means a clerk allotted to any of the Cadres at the time of decentralisation (1962) or appointed thereafter on a long term basis to the Lower Division Grade according to the prescribed procedure.

(c) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968 and who has reverted therefrom, to the extent of the period of his service (including the period of training, if any in the Armed Forces.

(d) The age limit prescribed above will be further relaxable :

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian Origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(3) *Typewriting test.*—Unless exempted from passing the typewriting test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School, for the purpose of confirmation, in the Lower Division Grade, he should have passed this test on or before the date of notification of this examination.

(4) No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory or Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from

Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than three times at the examination, this restriction being effective from the examination held in 1969.

NOTE 1.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

NOTE 2.—Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer" and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

5. The decision of the School as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the School.

7. A candidate who is, or has been declared by the School guilty of impersonation or of submitting fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period by the School from admission to any examination or appearance at any interview held by the School for selection of candidates; and

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the School to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the School's Notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the School in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the School to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade up to the required number.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the School by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the School in its discretion and the School will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respects for selection.

13. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service, or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services were terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

P. L. GUPTA, Dy. Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I.—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II.—Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the School in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subjects	Maximum mark	Time allowed
(i) Essay and Precis-Writing		
(a) Essay	50	
(b) Precis-Writing	50 100	2 Hours
(ii) Noting and Drafting and Office Procedure	100	2 Hours
(iii) General Knowledge	100	2 Hours

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers, *viz.* (i) Essay and Precis Writing, or (ii) Noting Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form; otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3.—Candidates will not be allowed to change the option exercised by them.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The School have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

(1) Essay and Precis Writing

(a) *Essay.*—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) *Precis Writing.*—Passages will usually be set for summary or precis.

(2) *Noting & Drafting and Office Procedure.*—The paper on Noting & Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidate's knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts. Candidates are required to study the Manual of Office Procedure and the Rules of Procedure and conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha for this purpose.

(3) *General Knowledge.*—The paper on General Knowledge will be intended *inter alia* to test the candidates' knowledge of Indian Geography as well as the country's administration and current national and international events.

RULES

New Delhi, the 24th July 1971

No. 32/13/71-*ESH.*(*E*).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1972, for selection of Released Emergency Commissoned Officers/Shrot Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, for the purpose of filling vacancies reserved for them in Grade IV of the following services are published for general information :—

(i) The Indian Economic Service; and

(ii) The Indian Statistical Service.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966. the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Subject to the provisions of these Rules, all Emergency Commission Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, and who have been released during 1971 prior to the date of this notification or are due to be released thereafter till the end of 1972, will be eligible to appear at this examination.

Provided that Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, who were released prior to 1971 shall be eligible to appear at this examination in accordance with the provisions of Rule 8.

NOTE 1.—For the purpose of these Rules, 'release' means :

(i) release as per the scheduled year of release.

(ii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service.

from the Armed Forces after a spell of service, and *not* during or at the end of training, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service, nor does it cover cases of officers released on account of misconduct. or inefficiency or at their own request.

NOTE 2.—The expression "scheduled year of release" means :—

(i) in so far as it relates to the Emergency Commissioned Officers the year in which they are due for release in accordance with phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence; and

(ii) in so far as it relates to the Short Service Commissioned Officers, the year in which their normal tenure of 3 or 5 years as the case may be as Short Service Commissioned Officers is to expire.

NOTE 3.—The candidature of a person is liable to be cancelled, if after submitting his application, he is granted permanent Commission in the Armed Forces, or he resigns from the Armed Forces, or he is released therefrom on account of misconduct or inefficiency or at his own request.

NOTE 4.—Engineers and Doctors employed under the Central Government or State Governments or Government owned industrial undertakings who are required to serve in the Armed Forces for a minimum prescribed period under the Compulsory Liability Scheme and who are granted Short Service Commission under the relevant rules during the period of such service will not be eligible for admission to this examination.

NOTE 5.—Officers belonging to the Volunteer Reserve Forces of the Armed Forces and called upon for temporary service will not be eligible for admission to this examination.

5. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon, and the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

6. (a) A candidate must *not* have attained the age of 26 years on the 1st January of the year in which he joined the pre-commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post Commission training).

(b) The age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of defence services personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof; who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963, is a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate who poined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Pakistan.

(xiv) up to a maximum of four years if a candidate, who joined the pre-Commisesion training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar Islands; and

(xv) up to a maximum of three years if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian citizen and is a repatriate from Ceylon.

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

7. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination. The restriction being effective from the examination held in 1971.

NOTE.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actualy appears in *any* one or more subjects.

8. Subject to the provisions of these Rules, a candidate must take the examinations held in the year of his release and in the year following the year of his release, as his first and second chances respectively.

Provided that

(i) a candidate released prior to 1971 may take the the examination to be held in 1972 as his second chance; and

(ii) a candidate invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service, during 1971 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1971 examination may take the examination to be held in 1972 as his first chance.

NOTE.—The provision contained in proviso (ii) to this Rule will not apply to candidates who were due for release in 1971 according to a phased programme (in the case of Emergency Commissioned Officers) or at the end of the normal tenure of 3 or 5 years service, as the case may be, (in the case of Short Service Commissioned Officers).

9. (a) A candidate for the Indian Economic Service must have obtained a degree with Economics or Statistics as a subject from any of the Universities enumerated in Appendix I.

(b) A candidate for the Indian Statistical Service must have obtained a degree with Statistics or Mathematics or Economics as a subject from any of the Universities enumerated in Appendix I or possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

10. A candidate serving in the Armed Forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding his unit who will forward it to the Union Public Service Commission. *A candidate who is himself the Officer Commanding his Unit must submit his application through his next superior officer.*

All other candidates in Government Service must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in Service under Government.

15. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for the *viva voce*.

16. After the examination, the canidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

17. (a) If on the result of the examination, a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned/ Short Service Commissioned Officers, the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Government in this behalf.

(b) If the number of qualified candidates is larger than the number of vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers, the names of those who are not appointed shall be kept on the waiting list(s) for appointment against the quota of vacancies reserved for them in the succeeding years(s).

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. In the case of candidates competing for both the Services, due consideration will be given to the order of preference expressed by a candidate at the time of his application.

20. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

21. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the *viva voce* by the Commission may be required to undergo physical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service(s).

22. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Govrenment may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

23. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

K. V. MAHALINGAM,
Under Secretary

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (vide Rule 9)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Brimingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).

The National University of Ireland.

The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.

The Dacca University.

The University of Sindh.

The Rajshahi University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribhuvan University, Khatmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination for the Indian Statistical Service only [*vide* Rule 9(b)].

(i) Statisticians Diploma of the Indian Statistical Institute, Calcutta.

(ii) Professional Statisticians Certificate of the Institute of Agricultural Research Statistics, ICAR, New Delhi.

APPENDIX II

SECTION I

Plan of the Examination

The competitive examination comprises :

(a) Written examination in subjects as set out in Sub-Sections (A) and (B) respectively of Section II below carrying a maximum of 700 marks.

(b) *Viva Voce* for such of the candidates as may be called by the Commission carrying a maximum of 450 marks, of which 50 marks shall be assigned to the Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces.

SECTION II

Examination Subjects

(A) The Indian Economic Service

	Maximum Marks
(1) General English	.. 150
(2) General Knowledge	.. 150
(3) Economics I	.. 200
(4) Economics II	.. 200

(B) The Indian Satistical Service

	Maximum Marks
(1) General English	.. 150
(2) General Knowledge	.. 150
(3) Statistics I	.. 200
*(4) Statistics II	.. 200

*In this subject, there will be separate papers on each of the following five branches, *viz.*, (i) Industrial Statistics (including Statistical Quality Control) (ii) Economic Statistics, (iii) Educational Statistics, (iv) Genetical Statistics and (v) Demography and Vital Statistics, of which a candidate is required to choose any two. Each paper will carry a maximum of 100 marks.

Note.—The standard and syllabi of the subjects mentioned in this Section are given in Part A of the Schedule to this Appendix.

SECTION III

General

1. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH.

2. There will be one paper of three hours duration in each of the subjects referred to in Section II above, except in the subject Statistics II. In Statistics II, there will be five papers, each of 1½ hours' duration *vide* Note under this subject at item 6 of Part A of the Schedule to this Appendix.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

5. For the Indian Economic Service, the papers in the following subjects, *viz.*, General English and General Knowledge, of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in the following subjects, *viz.*, Economics I and Economics II.

For the Indian Statistical Service, the papers in the following subjects, *viz.*, General English and General Knowledge, of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in the following subjects, viz., Statistics I and Statistics II.

6. If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of weights and measures. In the question papers, wherever necessary, questions involving the use of metric system of weights and measures may be set.

SCHEDULE

PART A

The standard of papers in English and General Knowledge will be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will be that of the Master's degree examination of an Indian University in the relevant disciplines. The candidates will be expected to illustrate theory by facts, and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian problems in the field(s) of Economics/Statistics.

1. General English.—

Candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

2. General Knowledge.—

The paper will consist of two parts :

In the first part candidates will be required to answer questions designed to test their knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. Questions may also be set on History of Indian and Geography, of a nature which candidates should be able to answer without special study.

In the second part candidates will be required to answer questions designed to test their ability to deal with facts and figures and to make logical deductions therefrom, their capacity to perceive implications and their ability to distinguish between the important and the less important.

3. Economics I.—

Scope and methodology.

Equilibrium analysis.

Theory of consumers' demand. Indifference curve analysis. Revealed preference approach. Consumer's surplus.

Theory of production. Factors of production. Production functions. Laws of returns. Equilibrium of the firm and the industry.

Pricing under various forms of market organisation. Pricing in a socialist economy. Pricing in a mixed economy.

Public utilities : economic characterstics of public utilities price determination in public utilities; regulation of public utilities.

Theory of distribution. Pricing of factors of production. Theories of rent, wages, interest and profit. Macrodistribution theory. Share of wages in national income. Profits and economic progress. Inequalities in income distribution.

Theory of employment and output—the classical and neo-classical approaches. Keynesian theory of employment. Post-Keynesian developments.

Economic fluctuations. Theories of business cycle. Fiscal and monetary policies for control of business cycles.

Welfare economics : scope of welfare economics; classical and neo-classical approaches; New welfare economics and the compensation principles; optimum conditions; policy implications.

4. Economics II.—

Concept of economic growth and its measurement.

Social accounts; national income accounts; flow of funds, accounts; input-output accounting.

Social institutions and economic growth. Characteristics and problems of developing economics.

Population growth and economic development.

Theories of growth. Growth models.

Planning—Concept and methods. Planning under Capitalist and Socialist forms of economic organisation. Planning in a mixed economy. Perspective planning. Regional Planning. Investment criteria and choice of techniques; Cost-benefit analysis. Planning models.

Planning in India. Evolution of Planning. Five Year Plans. Objectives and techniques. Problem of resource mobilization, administration and public co-operation. Role of monetary and fiscal policies; price policy, controls and market mechanism. Trade policy and Balance of payments. Role of public enterprises.

5. Statistics I.—

Different types of numerical approximations; finite differences, standard interpolation formulae and their accuracies; inverse interpolation. Numerical methods of differentiation and intergration.

Definition of probability. Classical approach, axiomatic approach. Sample space. Laws of total and compound probability. Conditional probability. Independent events. Baye's formula. Random variables : probability distributions; Mathematical expectation. Moment generating functions and characteristic functions. Inversion theorem. Tchebychev's inequality. Conditional distributions. Laws of large numbers and central limit theorems.

Standard distributions : Binomial, Poisson, Normal Rectangular, Exponential, Negative binomial, Hypergeometric, Cauchy, Laplace, Beta and Gamma distribution. Bivariate and Multivariate normal distributions.

Large and small sample theory; A symptotic sampling distributions and large sample tests. Standard sampling distributions such as t χ^2, F, and tests of significance based on them. Association and analysis of contingency tables.

Correlation coefficient and its distribution; Fisher's 'Z' transformation. Regression ; linear and polynomial; multiple regression—partial and multiple correlation coefficients including their distributions in null cases. Intra class correlation. Curve fitting and orthogonal polynomials.

Analysis of variance. Theory of linear estimation. Two-way classification with interaction. Analysis of covariance. Basic principles of design of experiments. Layout and analysis of common designs such as randomised blocks, Latin square. Factorial experiments and confounding Missing plot techniques.

Sampling techniques : Simple random sampling with and without replacement. Stratified sampling. Ratio and regression estimates. Cluster sampling, multistage sampling and systematic sampling. Non-sampling errors.

Estimation : Basic concepts. Characteristics of a good estimate. Point and interval estimates. Maximum likelihood estimates and their properties.

Tests of hypotheses. Statistical hypotheses : Simple and composite. Concept of a statistical test. Two kinds of error. Power function. Likelihood ratio tests. Confidence interval estimation. Optimum confidence bounds.

Common non-parametric tests such as sign test, median test and run test. Wald's sequential probability ratio test for testing a simple hypothesis against a simple alternative. OC & ASN functions and their approximations.

6. Statistics II.—

NOTE :—In this subject, there will be separate papers on each of the following five branches, *viz.*, (i) Industrial Statistics, (including statistical quality control) (ii) Economic Statistics, (iii) Educational Statistics, (iv) Genetical Statistics, and (v) Demography and Vital Statistics.

Candidates are required to choose any *two* of the above papers, which they must indicate in their applications. No change in the selection of papers once made will be allowed.

(i) *Industrial Statistics (Including Statistical Quality Control).*

Theoretical basis of quality control in industry, Tolerance limits. Different kinds of control charts—X, R charts, p and c charts, group control charts.

Acceptance sampling. Single, double, multiple and sequential sampling plans. OC and ASN functions. Sampling by attributes and by variables. Use of Dodge-Roming and other tables.

Design of industrial experimentation. Use of regression techniques and analysis of variance techniques in industry.

Applications of Operational research techniques including linear programming in industry.

(ii) *Economic Statistics*

Index numbers of prices and quantities. Different types of index numbers, *e.g.*, index numbers of whole-sale prices and cost of living index numbers. Theory of index numbers.

Income distributions. Pareto and other curves. Concentration curves and their uses.

National Income. Different sectors of national income. Methods of estimating national income Inter-sectoral flows. Problems of regional income estimates. Inter-industry table. Applications of input-output analysis and linear programming.

Analysis and interpretation of economic time series. The four components of an economic time seris. Multiplicative and additive models. Trend determination by curve fitting and by moving average methods. Determination of constant and moving seasonal indices. Auto correlation, periodogram analysis, tests of randomness.

Theory of consumption and demand, demand function, elasticities of demand, satistical analysis of demand with the help of time series and family budget data.

(iii) *Educational Statistics (including Psychometry)*

Scaling of test items. Scores, standard scores, normal scores. T and C scales, stanine scale, percentile scale.

Mental tests. Reliability and validity of tests. Different methods for computing reliability. Index of reliability. Procedures for determining validity. Validition of a test battery. Speed versus power tests.

Factor Analysis. Item analysis. Use of correlation methods in aptitude tests.

Measurement of learning and forgetting. Learning models. Attitude and opinion measurement. Measurements of group behaviour.

(iv) *Genetical Statistics*

Physical basis of heredity. Mendel's laws. Linkage. Analysis of segregation, detection and estimation of linkage.

Polygenic inheritance. Components of phenotypic variation. Estimation of heritability. Selection. Basis of selection. Progeny testing. Selection for combination of characters.

Population genetics. Gene frequency. Inbreeding. Random mating. Linkage disequilibrium.

Elements of human genetics. Study of blood groups, disease traits and aberrations.

(v) *Demography and Vital Statistics*

The life table; its construction and properties; Makeham's and Compertz curves. Derivation of annual and central rates of mortality. National life tables. U.N. model life tables. Abridged life tables. Stable population. Stationary population.

Crude fertility rates, specific fertility rates gross and net reproduction rates; family size; crude mortality rate, infant mortality rates; Mortality by cause of death; Standardised rates.

Internal and international migration; net migration; backward and forward survivorship ratio methods.

Demographic transition; Social and economic determinants of population.

Population projections. Mathematical and Component methods. Logistic curve fitting.

PART 'B'

Viva voce : The candidates will be examined by a Board who will have before them a record of the career of each candidate, including service in the Armed Forces. The object of the *viva voce* is to assess the suitability of the candidate for the Service or Services for which he has applied, by a Board of competent and unbiased observers. The interview is intended to supplement the written examination for testing the general and specialised knowledge and abilities of the candidate. The candidate wll also be asked questions on matters of general interest as also on his experience in the Armed Forces.

The technique of the *viva voce* is not that of a strict cross examination, but of a natural though directed and purposive conversation, which is intended to reveal the candidate's grasp of problems and his mental qualities, *e.g.* intellectual curosity, critical powers of assimilation, balance of judgment and alertness of mind; the ability for social cohesion: integrity of character, initiative and capacity for leadership.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the two Services to which recruitment is being made through this examination :

1. Candidates selected for appointment to either of the two Services will be appointed to Grade IV of the Service on probation for a period of two years which may be extended if necessary. During the period of probation, the candidates will be required to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as the Government may determine.

2. If in the opinion of Government the work or conduct of the officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith.

3. On he expiry of the period of probation or of any extension, if the Government are of opinion that a candidate is not fit for permanent appointment, Government may discharge him.

4. On completion of the period of probation to the satisfaction of Government, the candidate shall if considered fit for permanent appointment be confirmed in his appointement subject to the availability of substantive vacancies in permanent posts.

5. Prescribed scales of pay for both the Indian Statistical Service and the Indian Economic Service are as follows :

Grade I—Director Rs. 1300—60—1600—100—1800.

Grade II—Joint Director Rs. 1100—50—1400.

Grade III—Deputy Director Rs. 700—40—1100—50/2—1250.

Grade IV—Assistant Director Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.

6. Promotions to the higher grades of the Service will be made on the basis of merit with due regard to seniority in accordance with the quota of vacancies set aside for promotion for each grade *viz.*, 75% for Grade III, 50% for Grade II and 75% for Grade I.

An officer belonging to the Indian Statistical Service/ Indian Economic Service will be liable to serve anywhere in India or abroad under the Central Government and may be required to serve in any post on deputation for a specified period.

7. Conditions of service and leave and pension for officers of the two Services are the same as those described in the Fundamental Rules and Civil Service Regulations of Government of India respectively subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

8. Conditions of Provident Fund are the same as laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

APPENDIX IV

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

(These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirement prescribed in the regulations, cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.)

1. To be passed as fit for appointment a candiate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the the candidate is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other side of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shouder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84—89, 86—93 etc. In recording the measurements fractions of less than a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of half of a kilogram should not be noted.

6. (a) The candidate's eyesight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses.

Distant vision		Near vision	
Better eye (Corrected vision)	Worse eye	Better eye (Corrected vision)	Worse eye
6/9 or 6/9	6/12	J. I	J. II

(d) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

(e) *Field of vision.*—The field of vision shall be tested by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness.*—Broadly there are two types of night blindness; (1) as a result of vit. A deficiency and (2) as a result of Organic Disease of Retina—a common cause being Retinitis pigmentosa. In (1) the fundus is normal, generally seen in younger age group and ill nourished persons and improves by large doses of Vit. A. In (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult, and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2) dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-Retinography is required to be done. Both these tests (dark adaptation and retinography) are time consuming and require specialized set up and equipment, and thus are not possible as a routine test in a medical check-up. Because of these technical considerations, it is for the Ministry/ Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employee.

(g) *Ocular conditions other than visual acuity.*—(i) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.

(ii) *Squint.*—For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard, should be considered a disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as a disqualification, if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) *One eye* : If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is ambylyopic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit, such persons provided the normal eye has.

(i) 6/6 distant vision and J1 near vision with or without glasses, provided the error in any meridian is not more than 4 diopteres for distanct vision.

(ii) full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required. Provided the Board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

(h) *Contact Lenses.*—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test, the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 and diastolic over 90 should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from cloths to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level of the column at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappears as pressure falls and reappear at a still lower level This 'Silent Gap' may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If, except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified speciaist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or 'unfit'. The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement, subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist. Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he has no progressive disease in the ear.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth, are in good order and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all joints

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Screening of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination, where it is considered necessary, a skiagram should be taken.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidates filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50 in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The

candidates may, if they like enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeals should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates; otherwise, requests for second medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The Medical Examination by the Appellate Medical Boards would be arranged at New Delhi only and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Boards would be taken by the Cabinet Sectt. (Department of Personnel) on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

The Board should normally consist of three members, (i) a physician, (ii) a Surgeon, and (iii) an Opthalmologist, all of whom should as far as practicable, be of equal status. A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Economic Service/Indian Statistical Service are liable for field service in or out of India. In case of such a candidate, the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In cases where a candidate is declared unfit for appointment in the Goverment Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) *Candidate's statement and declaration.*

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters) .....

2. State your age and birth place .....

2.(a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese, Nagaland Tribals, etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No' and, if the answer is 'Yes', state the name of the race. .....

3. (a) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis ? .....

OR

(b) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ? .....

4. When were you last vaccinated ? .....

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over-work or any other cause ? .....

6. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at death and cause of death

Mother's age if living and State of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters and ages and state of health	No. of sisters dead, their ages and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before? .....
8. If answer to the above is, Yes, please state what Service/Services you were examined for ? .....
9. Who was the examining authority ?
10. When and where was the Medical Board held ?
11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known .....

I declare that all the above answers are to the best of my belief true and correct.

Candidate's signature.....

Singed in my presence.....

Signature of the Chairman of the Board

NOTE :—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfullly suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation Allowance Gratuity.

Report of the Medical Board on (Name of candidate)

Physical Examination

1. General development : Good..... Fair, Poor.....

   Nutrition : Thin..... Average..... Obese....
   Height (Without shoes).....Weight.....
   Best Weight.....When ? .....any recent change in weight ?.....Temperature.....

   Girth of Chest :

   (1) (After full inspiration).....

   (2) (After full expiration).....

2. Skin : Any obvious disease.....
3. Eyes :

   (1) Any disease .....

   (2) Night blindness.....

   (3) Defect in colour vision.....

   (4) Field of vision.....

   (5) Visual acuity.....

   (6) Fundus Examination.....

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength glass Sph.	Cyl.	axis
Distant vision ..	R. E.				
	L. E.				
Near Vision ..	R. E.				
	L. E.				

4. Ears : Inspection....Hearing : Right : Ear.....
   Left Ear.....
5. Glands..... Thyroid.....
6. Condition of teeth.....
7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?.....
   If yes, Explain fully.....
8. Circulatory System :

   (a) Heart : Any organic lesions ?.....Rate Standing.....

   After hopping 25 times.....
   2 minutes after hopping.....

   (b) Blood Pressure : Systolic....Diastolic.....

9. Abdomen : Girth.....Tenderness..... .. Hernia.....

   (a) Palpable : Liver.....Spleen.....
   Kidneys.....Tumours.....

   (b) Haemorrhoids.....Fistula..... ....

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities.....
11. Loco-Motor System : Any abnormality.....
12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, varicocele etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance
(b) Sp. Gr
(c) Albumen
(*d*) Sugar
(*e*) Casts
(*f*) Cells

13. Report of Screening/XRay Examination of Chest
14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?
15. (*i*) Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Economic Service and Indian Statistical Service ?

    (*ii*) Is the candidate fit for FIELD SERVICE....

NOTE :—The Board should record their findings under one of the following three categories :

(*i*) Fit .....

(*ii*) Unfit on account of.....

(*iii*) Temprarily unfit on account of.....

Place .....

Date .....

Chairman

Member

Member

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 28th May 1971

RESOLUTION

*No. F.*14(9)-*Plant(A)*/66.—With a view to ensuring that the Pathini Tea Estate, which has been purchased by the Government of India and which is continued to be managed on their behalf by M/s. Octavius Steel & Co. Ltd., Calcutta is run on proper lines, the Government of India have decided to reconstitute the Advisory Board set up in this Ministry's Resolution No. 14(9) Plant(A)/66, dated the 10th December 1970 to advise Government on all matters relating to the management and operation of the Tea Estate.

2. The reconstituted Board consist of the following Members :

Chairman

(i) Shri B. R. Vohra, Chairman, Tea Board.

Members

(ii) Shri B. K. Dube, Member, Tea Board.

(iii) Shri C. Venkataraman, Director, Ministry of Finance (Deptt. of F.T.& T.).

(iv) Shri N. N. Malhan, Deputy Director, Ministry of Foreign Trade.

Member-Convenor

(v) Shri J. C. Crawford, Director, M/s Octavious Steel & Co. Ltd.

3. The Managing Agents Ms Octavius Steel & Co. Ltd., Calcutta will place all policy matters relating to the management of the Estate before the Board who will consider such matters and advice Government thereon.

4. The Board shall be constituted for a period up to 31st December, 1971 and will normally meet at Calcutta.

S. N. DANDONA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 25th June 1971

RESOLUTION

No. 13-7/68-*APC(PLY)*.—In the composition of the Advisory Committee on Indigenous System of Medicines for Family Planning constituted *vide* Ministry of Health & Family Planning and Works, Housing and Urban Development's Resolution No. 13-7/68-APC(Ply.), dated 1-1-1969 the following change shall be made :—

Instead of one Vice-Chairman, there shall be two Vice-Chairman viz., the Minister of State for Health and Family Planning and the Deputy Minister for Health and Family Planning.

The life of the said Committee is extended by two years from 1-1-1971.

ORDER

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India.

R. N. MADHOK, Jt. Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 29th June 1971

RESOLUTION

SUBJECT : *Delhi Land Management Investigation Committee set up to enquire into the working of the Land and Development Office.*

No. G-25017/1/70.—In this Ministry's Resolution No. G-25017/1/70-L.II, dated the 16/20th January, 1971, a fact-finding Committee was set up to investigate comprehensively the working of the Land and Development Office. Shri Homi J. H. Taleyarkhan is the Chairman and Shri L. J. Manjrekar, Joint Secretary & Legal Adviser, Minstry iof Law Shri R. P. Capoor, Deputy Financial Adviser, Ministry of Finance and Shri Manmohan Kishen, a retired officer of the Central Secretariat Service are Members of the Committee. It has now been decided that the followng two more non-officials will also be Members of the said Committee (since named as "the Delhi Land Management Investigation Committee") :

(i) Shri P. N. Narang, 158, Golf Links, New Delhi.

(ii) Shri Shaukat Rai, E-12, Defence Colony, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India for general information.

P. C. MATHEW, Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour & Employment)

New Delhi, the 6th July 1971

RESOLUTION

No. 10/41/70-*MIII*.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 10/17/70-MIII, dated the 4th December, 1970, the following further amendment shall be made in this Ministry's Resolution No. 10/31/68-MIII, dated the 20th December, 1968 as amended from time to time, reconstituting the Central Advisory Board for Iron Ore Mines Labour Welfare Fund, namely :—

"In the said Resolution, in para 1, against Serial No. 1, under 'Members representing Employers' organisations', for the existing entry the following shall be substituted, namely :—

1. Shri Zafar Saifullah, General Manager, Donimalai Iron Ore Project, P.O. Sandur, District Bellary, (Mysore State)".

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. The Governments of Andhra Pradesh, Mysore, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, Orissa and Goa, Daman and Diu.
2. Department of Mines & Metals, New Delhi.
3. All Members of the Board (List attached).
4. Employers and Workers Organisations concerned.
5. National Mineral Development Corporation Ltd., Post Box No. 3542, New Delhi-24.
6. Shri Zafar Saifullah, General Manager, Donimalai Iron Ore Project, P.O. Sandur Distt. Bellary, Mysore.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. R. NAIR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1971